

अध्याय-II

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव (आबकारी) बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर की व्यवस्था करता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसे दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं जिन्हें 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित कर कानूनों तथा नियमों की व्यवस्था हेतु विभाग एवं अन्य कर्मचारियों की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए क्षेत्र में आबकारी एवं कराधान निरीक्षक होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम


2017-18 के दौरान, 89 इकाइयों में से 33 इकाइयों जिनमें मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर, विलास एवं बहुउद्देशीय बैरियर के अंतर्गत ₹1865.44 करोड़ की प्राप्तियां सम्मिलित थी, के अभिलेखों की नमूना जांच से 300 मामले में ₹281.72 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में			
क्रम संख्या	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1.	"विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में राजस्व बकाया" पर लेखापरीक्षा	01	185.69
2.	'व्यापारियों को दी गई रियायत' पर लेखापरीक्षा	01	13.89
3.	कर का अवनिर्धारण	24	5.22
4.	दोषपूर्ण सांविधिक फार्म-सी एवं एफ की स्वीकृति	19	9.97
5.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	47	12.27
6.	निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक छूट	70	6.25
7.	कर की गलत दरें लागू करना	32	40.72
8.	अन्य अनियमितताएं	78	3.78
योग		272	277.79
अन्य कर एवं गैर कर			
1.	मनोरंजन कर	03	3.78
2.	बहुउद्देशीय बैरियर्स	13	0.15
3.	विलास कर	12	
योग		28	3.93
सकल योग		300	281.72

लेखापरीक्षा के परिणाम की स्थिति नीचे ग्राफ में दर्शाई गई है:

ग्राफ- 2.1



वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग ने 75 मामलों में ₹2.74 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 66 मामलों में ₹86.63 लाख की राशि वसूल की गई थी।

₹199.58 करोड़ की मुद्रा मूल्य युक्त दो विषयक लेखापरीक्षाएं तथा ₹29.74 करोड़ के मुद्रा मूल्य युक्त सात परिच्छेदों के रूप में महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा निम्नवत् है:

2.3 वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तित होने की तैयारी

परिचय

वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा अनुमोदित आदर्श कानून के अनुसार सरकार/विभाग, अधिनियम/नियमों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए तैयारी में तत्पर था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद् की अनुशंसाओं पर नियमों/विनियमों में 1 जुलाई 2017 से बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण राज्य सरकार कई प्रक्रियाओं को लागू नहीं कर सकी। विभाग को पिछले मुद्दों जैसे पूर्व वस्तु एवं सेवा कर के मामलों का निर्धारण, पूर्व वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था से सम्बन्धित कर के प्रतिदायों एवं बकायों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करके शीघ्रता से समय सीमा में इन मामलों का हल ढूँढने की आवश्यकता है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क भी पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी हल उपलब्ध नहीं करवा सका।

वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तुओं अथवा सेवाओं (मानव उपयोग हेतु शराब एवं पांच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों¹ को छोड़कर) की अन्तरराज्यीय आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर² को अलग से परन्तु संघों (केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर) तथा राज्यों (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)/केन्द्र शासित प्रदेशों (केन्द्र शासित वस्तु एवं सेवा कर) द्वारा समवर्ती रूप से उद्गृहीत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं (आयात सहित) की अन्तरराज्यीय आपूर्ति पर उद्गृहीत किया जा रहा है तथा संसद को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व उत्तरोत्तर व्यापारियों द्वारा बिक्रियों की श्रृंखलाओं में वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार मूल्य वर्धित कर उद्गृहीत किया जाता था तथा अन्तरराज्यीय कारोबार अथवा व्यापार के क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अनुसार वस्तुओं की बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर उद्गृहीत किया जाता था।

राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया था जबकि माल एवं सेवा कर से सम्बद्ध प्रावधानों को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र एवं राज्यों द्वारा विनियमित किया जा रहा है जिसका गठन वस्तु एवं सेवा कर से सम्बद्ध मामलों पर केन्द्र एवं सभी राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017)। वस्तु एवं सेवा कर में विभिन्न करों³ को समाविष्ट किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह मुख्यतया करदाताओं को पंजीकरण, कर भुगतान तथा रिटर्नों को जमा करने की आसम्भ से सिरे तक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं (फ्रंट-एण्ड) प्रदान करता है। अंतिम सिरे (बैक एण्ड) की सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं जैसे कि पंजीकरण अनुमोदन, कर भुगतानकर्ता विवरण देखना, प्रतिदाय करने की प्रक्रिया, एमआईएस रिपोर्ट, इत्यादि जानकारियां भी मॉडल-II⁴ राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश ने मॉडल-II को चुना है।

2.3.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

भारत के संविधान में 162 वें संशोधन अर्थात् सितम्बर 2016 से मार्च 2018 तक वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के सम्बद्ध में राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त

¹ पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन तथा प्राकृतिक गैस।

² केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर: सीजीएसटी तथा राज्य/संघीय क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर: एसजीएसटी/आईजीएसटी।

³ मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश शुल्क, विलास एवं मनोरंजन कर, इत्यादि।

⁴ मॉडल-I राज्य: केवल वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई गई फ्रन्ट एण्ड सेवाएं तथा मॉडल-II राज्य: फ्रन्ट एण्ड तथा बैक एण्ड दोनों सेवाएं वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई गईं

कार्यालय वाणिज्यिक करों के अभिलेखों तथा पिछले मुद्दों अर्थात् निर्धारण, वसूली/प्रतिदाय गलतियों का सुधार करना, घोषित प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण इत्यादि से सम्बन्धित विभागीय वैब आधारित ऐप्लीकेशन www.gst.gov.in में उपलब्ध डाटा की जांच की गई।

2.3.3 राजस्व की प्रवृत्ति

वस्तु एवं सेवा कर को जुलाई 2017 से लागू किया गया था तथा विगत वर्ष 2016-17 की उसी अवधि के दौरान पूर्व वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ₹4,381.91 करोड़ के प्रति अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित/असम्मिलित करों की कुल प्राप्तियां ₹4,843.86 करोड़ (₹484.84 करोड़ के अग्रिम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर सहित) थी अर्थात् इनमें ₹10.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूर्व वस्तु एवं सेवाकर तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष	बजट अनुमान	पूर्व वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्राप्तियां	राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्तियां		पूर्व वस्तु तथा सेवा कर तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां	गत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कुल प्राप्तियां
			राज्य वस्तु एवं सेवा कर	एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर का बंटवारा				
			₹ करोड़ में					
2013-14	3,232.90	3,141.10	-	-	3,141.10	-	-	3,141.10
2014-15	3,195.62	3,660.57	-	-	3,660.57	16.53	-	3,660.57
2015-16	3,937.01	3,992.99	-	-	3,992.99	9.08	-	3,992.99
2016-17	4,715.67	4,381.91	-	-	4,381.91	9.74	-	4,381.91
2017-18	5,135.48	2,525.87 ¹	-	-	4,843.86	10.54	1,059.00 ³	5,902.86
2017-18			1,833.15 ²	484.84				
राज्य हेतु जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संरक्षित आंकड़े ₹3,546 करोड़ हैं।								
¹ अप्रैल से जून 2017 ² जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक								
³ 2017-18 के दौरान ₹ 539.00 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 520 करोड़ प्राप्त हुए थे।								

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट अनुमान

पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्तियों में बढ़ती प्रवृत्ति थी।

2.3.4 कानूनी/सांविधिक तैयारी

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को (जून 2017) अधिसूचित किया। 27 मार्च 2018 से राज्य में अन्तरराज्यीय लेनदेनों तथा 31 मई 2018 से अन्तरराज्यीय लेनदेनों हेतु ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया गया था। इसके आगे, राज्य सरकार ने राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु समय-समय पर आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की थी। राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग ने जून 2017 से मार्च 2019 तक वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में 237 अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश जारी किए थे।

2.3.5 सूचना प्रौद्योगिकी की तैयारी एवं विभाग द्वारा क्षमता निर्माण हेतु प्रयास

वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क करदाताओं को पंजीकरण, कर भुगतान एवं रिटर्न भरना नामक तीन फ्रंट ऐण्ड सेवाएं प्रदान करता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन हेतु, बैंक ऐण्ड ऐप्लीकेशन जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण देखना, वचन पत्र, प्रक्रिया, प्रतिदाय प्रक्रिया, प्रबन्धन सूचना प्रणाली रिपोर्ट इत्यादि हेतु मॉडल-II को चुना है इसलिए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन को विकसित किया जा रहा था। विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राज्य डाटा केन्द्र पर मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग के माध्यम से राज्य में बैंक ऐण्ड ऐप्लीकेशन हेतु पहुंच उपलब्ध थी।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए गए थे। वस्तु एवं सेवा कर पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्टूबर/नवम्बर 2015 के दौरान तीन बैचों में केरल स्थित तिरुवनन्तपुरम में आबकारी एवं कराधान अधिकारी स्तर के अधिकारियों हेतु आयोजित किया गया था। बैंक ऑफिस मॉड्यूल तथा प्रतिदाय मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिसम्बर 2018 के दौरान उपायुक्त स्तर के अधिकारियों हेतु दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूनिट स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रत्येक वर्ष 20 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। विभाग ने भी सूचित किया कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य को 517 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर पूर्णतः प्राप्त किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर से सम्बद्ध सूचना जैसे अधिनियम/नियम, अधिसूचना/परिपत्र/आदेश, ई-वे बिल आदि हेतु www.gst.gov.in नामक वेबसाइट प्रदान की गई है। एक केन्द्रीकृत कॉल सेंटर करदाताओं की समस्याओं/पूछताछ हेतु भी स्थापित किया गया था।

2.3.6 वस्तु एवं सेवाकर को लागू करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने में मुख्य रूप से पंजीकरण, स्थानांतरण, करदाताओं का आंबटन, रिटर्नों को भरना, कर भुगतान, अन्तर्वर्ती क्रेडिट, प्रतिदाय, इत्यादि जैसी समस्याओं/चुनौतियों का सामना किया। राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से नियमों व विनियमनों में किए गए परिवर्तनों सहित समस्याओं पर लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.3.7 कर दाताओं का पंजीकरण

प्रत्येक व्यक्ति जो वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व किसी भी कानून के तहत पंजीकृत था तथा जिसके पास स्थाई लेखा संख्या है, उसे अस्थाई आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर ही प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, करदाता जिसकी कुल बिक्री ₹10 लाख की सीमा रेखा से अधिक हो, को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यह सीमा 31 जनवरी 2019 तक रही तथा 1 फरवरी 2019 से इस सीमा को संशोधित करके ₹20 लाख कर दिया।

2.3.8 वाणिज्यिक कर विभाग के विद्यमान करदाताओं का स्थानांतरण

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत, सम्मिलित करों के किसी भी विद्यमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत तथा स्थाई लेखा संख्या रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने ई-मेल पते तथा मोबाईल नम्बर को मान्य करके सार्वजनिक पोर्टल पर नामांकन करेगा। ऐसे व्यक्ति को अस्थाई आधार पर पंजीकरण अनुमत किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे अस्थाई पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट सूचना व दस्तावेजों सहित सार्वजनिक पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदन में भरी गई सूचना एवं विवरण सही व पूर्ण होगा तो पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग में विद्यमान पंजीकृत व्यापारियों के अस्थाई पंजीकरण एवं अंतिम पंजीकरण की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: विद्यमान कर दाताओं का स्थानांतरण

30 जून 2017 तक विद्यमान व्यापारियों की कुल संख्या	वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क से प्राप्त अस्थाई आईडी की कुल संख्या (कॉलम- I सम्बन्ध में प्रतिशतता)	पूर्ण किए गए नामांकन (कॉलम-I के सम्बन्ध में प्रतिशतता)	वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत अनतत: नामांकित नहीं किए व्यापारियों की संख्या
1	2	3	4
73,520	72,688 (99 प्रतिशत)	53,537 (72.82 प्रतिशत)	19,151

स्रोत: विभागीय आंकड़े

99 प्रतिशत विद्यमान व्यापारियों ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से अस्थाई आईडी को प्राप्त कर लिया था परन्तु केवल 72.82 प्रतिशत विद्यमान व्यापारियों ने ही स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्ण किया था तथा उन्हें अंतिम रूप से वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

व्यापारियों के कम नामांकन का कारण विभाग ने बताया कि मूल्य वर्धित कर व्यवस्था में ₹5.00 लाख की सकल कुल बिक्री वाले व्यापारियों को पंजीकृत किया जाता था जबकि वस्तु एवं सेवा कर में ₹10 लाख तक की सकल कुल बिक्री वाले व्यापारियों को पंजीकरण से छूट प्राप्त है।

2.3.9 केन्द्र एवं राज्य के मध्य करदाताओं का बंटवारा

(क) वाणिज्यिक कर विभाग एवं केन्द्रीय आबकारी विभाग में विद्यमान पंजीकृत करदाता

वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के अनुसार 90 प्रतिशत विद्यमान पंजीकृत करदाताओं जिनकी कुल बिक्री ₹1.50 करोड़ तक तथा 50 प्रतिशत विद्यमान पंजीकृत करदाता जिनकी कुल बिक्री ₹1.50 करोड़ से ऊपर थी, को राज्य को आबंटित किया गया। तदनुसार, राज्य को 48,506 विद्यमान पंजीकृत करदाताओं का क्षेत्राधिकार आबंटित किया गया (नवम्बर 2017) जैसा कि निम्नवत वर्णित है:

तालिका 2.4: विद्यमान पंजीकृत करदाता

विवरण	विद्यमान पंजीकृत करदाता		जोड़
	₹1.50 करोड़ से ऊपर सकल बिक्री	₹1.50 करोड़ से नीचे सकल बिक्री	
केन्द्र	3,799	4,968	8,767
राज्य	3,798	44,708	48,506
कुल	7,597	49,676	57,273

स्रोत: विभागीय आंकड़े

(ख) नये करदाता

वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा राज्य तथा केन्द्र को नए पंजीकृत करदाताओं का क्षेत्राधिकार, करदाताओं द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन जमा करने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आबंटित किया जा रहा है। 31 मार्च 2019 तक राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नये पंजीकरण की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: नए पंजीकृत करदाता

मार्च 2019 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या
63,789	9,504	53,747	538

स्रोत: विभागीय आंकड़े

इस प्रकार, मार्च 2019 तक पंजीकरण के विभिन्न चरणों पर 538 आवेदन लम्बित थे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं जो नियम बनाने की तिथि से प्राप्त हुए थे अर्थात् 22 जून 2017।

2.3.10 रिटर्न को फाईल करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार कम्पोजिशन करदाताओं के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को फार्म जीएसटीआर-1⁵ में वस्तुओं या सेवाओं की बहिर्गामी आपूर्ति के विवरण, फार्म जीएसटीआर-2⁶ में वस्तुओं या सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति के विवरण तथा फार्म जीएसटीआर-3 में (जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2 के माध्यम से प्रतिमाह प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न) रिटर्न फाईल करना आवश्यक है। कम्पोजिशन अनुदग्रहण के अन्तर्गत करदाताओं को जीएसटीआर-4 में त्रैमासिक रिटर्न फाईल करना अपेक्षित है।

⁵ जीएसटीआर-1: (क) पंजीकृत व्यक्तियों को किए गए सभी अन्तरराज्यीय एवं अन्तराज्यीय आपूर्ति का चालान वार विवरण तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹2.50 लाख से अधिक चालान मूल्य सहित अन्तरराज्यीय आपूर्ति, (ख) अपंजीकृत व्यक्तियों को किए सभी अन्तरराज्यीय आपूर्तियों तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹2.50 लाख तक के चालान मूल्य सहित राज्य-वार अन्तरराज्यीय आपूर्तियों का समेकित विवरण तथा (ग) महीने के दौरान जारी किए गए डेबिट एवं क्रेडिट नोटस, यदि कोई हो।

⁶ जीएसटीआर-2: (क) पंजीकृत व्यक्तियों अथवा अपंजीकृत व्यक्तियों से सभी अन्तरराज्यीय एवं अन्तराज्यीय आपूर्ति का चालान वार विवरण प्राप्त किया, (ख) माल एवं सेवाओं का आयात तथा (ग) आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त डेबिट एवं क्रेडिट नोटस, यदि कोई हो।

नई कर व्यवस्था की प्रारम्भिक अवधि में करदाताओं के सामने आई समस्याओं को सुलझाने के लिए रिटर्न फाईल करने की निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित किया गया। जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 को फाईल करना स्थगित कर दिया गया एवं सभी करदाताओं को आगामी मास की 20 तारीख तक कर भुगतान सहित फार्म जीएसटीआर-3⁷ में साधारण मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, करदाता जिनकी कुल बिक्री ₹1.50 करोड़ से कम थी, को त्रैमासिक आधार पर जीएसटीआर-1 फाईल करना था। ऐसे करदाता जिन्होंने अपनी रिटर्न को जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान फाईल (जीएसटीआर-3ख) किया है, का विवरण तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: फाईल की गई रिटर्नों का माह वार विवरण

मास/वर्ष	कुल करदाता	कर दाताओं की संख्या जिन्होंने रिटर्न को फाईल किया	कर दाताओं की संख्या जिन्होंने रिटर्न को फाईल नहीं किया	कर दाताओं की प्रतिशतता जिन्होंने रिटर्न को फाईल किया
जुलाई 2017	50,631	49,701	930	98
अगस्त 2017	56,145	53,445	2,700	95
सितम्बर 2017	60,003	55,881	4,122	93
अक्टूबर 2017	58,024	52,223	5,801	90
नवम्बर 2017	59,612	52,163	7,449	88
दिसम्बर 2017	60,836	52,440	8,396	86
जनवरी 2018	62,906	53,455	9,451	85
फरवरी 2018	65,080	54,457	10,623	84
मार्च 2018	67,654	55,316	12,338	82

यह देखा जा सकता है कि रिटर्न फाईल करने की प्रतिशतता 98 प्रतिशत से 82 प्रतिशत तक घट गई है। अतः कर दाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु इन रिटर्नों का अनुश्रवण आवश्यक है।

2.3.11 कम्पोजिशन के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा कर भुगतान

कर भुगतान करने योग्य कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल बिक्री किसी विगत वित्तीय वर्ष में ₹75 लाख से कम है वह सिम्पलीफाईड कम्पोजिशन स्कीम को अपना सकता है जहां निवेश कर क्रेडिट लाभ के बिना राज्य में कुल बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायत दर से कर भुगतान योग्य होगा। इस सीमा को अक्टूबर 2017 से संशोधित करके एक करोड़ कर दिया गया था। त्रैमासिक रिटर्न जीएसटीआर-4⁸ को देय कर के भुगतान के पश्चात फाईल करना अपेक्षित है।

रिटर्न फाईल करने की स्थिति को नीचे दिया है:

तालिका 2.7: करदाताओं एवं रिटर्न फाईल करने वालों का विवरण

तिमाही	जीएसटीआर-4 को फाईल करने के पात्र करदाता	कुल फाईल की गई रिटर्न	प्रतिशतता
जून 2018	21,482	19,471	91
सितम्बर 2018	21,691	18,949	87
दिसम्बर 2018	21,360	18,075	85

यह देखा जा सकता है कि रिटर्न फाईल करने की प्रतिशतता 91 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक घट गई। अतः करदाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु इन रिटर्नों का अनुश्रवण आवश्यक है।

2.3.12 परिवर्ती क्रेडिट

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार धारा 10 (कम्पोजिशन उद्ग्रहण) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में पंजीकृत करदाता, वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व

⁷ जीएसटीआर-3ख: कम्पोजिशन अनुद्ग्रहण करदाताओं को छोड़कर अन्य सभी करदाताओं द्वारा अपेक्षित मासिक रिटर्न फाईल

⁸ जीएसटीआर-4: कम्पोजिशन व्यापारियों द्वारा रिटर्न फाईल की जानी है।

की कर व्यवस्था के निवेश कर क्रेडिट की लाभ न उठाई गई राशि का दावा आगे अग्रेषित करने के लिए पात्र है। इसमें वैट रिटर्न में आगे अग्रेषित नहीं किए गए पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में लाभ न उठाए गए निवेश कर क्रेडिट भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, करदाता स्टॉक में रखे निवेशों के संदर्भ में तथा स्टॉक में रखी अर्ध-निर्मित अथवा पूर्ण निर्मित वे वस्तुएं, जिन क्रेडिट पर पहले कानून के अंतर्गत दावा नहीं किया गया था, उन पर मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट लेने के लिए भी पात्र है तथा करदाता हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन निवेशों जैसे निवेश कर क्रेडिट के लिए पात्र है। पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित टीआरएएन-1 फार्म में रिटर्न फाईल करना आवश्यक है। तथापि, वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी रिटर्न नियत तिथि से छः माह की अवधि में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तुरन्त नहीं करने पर करदाता को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रासंगिक डम्प डाटा (मार्च 2019) की छानबीन तथा करदाता द्वारा अप्रैल से 30 जून 2017 की अवधि हेतु फाईल की गई मूल्य वर्धित कर रिटर्न (वैट-XXV) की प्रति जांच करने से उद्घाटित हुआ कि 14,367 करदाताओं ने टीआरएएन-1 फाईल किया था तथा ₹558.89 करोड़ के परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने 580 मामलों की नमूना जांच की जहां परिवर्ती क्रेडिट का दावा किया था तथा मूल्य वर्धित कर रिटर्न (वैट-XXV) के साथ प्रति जांच की। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया गया:-

- 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के अन्त में व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों के अनुसार 25 करदाताओं ने ₹78.06 लाख के उपलब्ध निवेश कर क्रेडिट के प्रति टी.आर.ए.एन-1 में ₹1.27 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट का दावा किया। इस प्रकार व्यापारी के पास उपलब्ध बिना बिके स्टॉक/पूंजीगत वस्तुओं इत्यादि के प्रति ₹48.94 लाख के अधिक निवेश कर क्रेडिट का दावा किया गया था।
- 33 करदाताओं ने टी.आर.ए.एन-01 में ₹3.73 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट का दावा किया था जबकि 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के अन्त में इन व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिटर्नों के अनुसार कोई भी निवेश कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

विभाग द्वारा इन करदाताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई को अभिलेखों में नहीं लिया गया था।

2.3.13 वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत प्रतिदाय

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के अंतर्गत प्रतिदाय मॉड्यूल परिचालन में नहीं था, अतः आवेदकों को हस्तचलित प्रणाली के माध्यम से प्रतिदायों की अनुमति दी जा रही है। विशेष कर अवधि के अंत में अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट अथवा इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में शेष राशि के प्रतिदाय हेतु विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। कर की अदायगी के बिना की गई शून्य दर आपूर्तियों के मामले में, या जब निवेशों पर कर की दर उत्पादन आपूर्तियों पर कर की दर से अधिक होने पर क्रेडिट जमा हो जाए तो अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट का प्रतिदाय अनुमत है।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार प्रतिदाय की स्थिति निम्नवत् थी:-

तालिका 2.8: अनुमत प्रतिदाय का विवरण

₹ करोड़ में						
मार्च 2019 तक प्रतिदाय हेतु प्राप्त आवेदन		निर्धारित अवधि में अनुमत प्रतिदाय		निर्धारित अवधि के उपरांत प्रतिदाय		अस्वीकृत आवेदनों की संख्या
करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	
773	196.59	617 (79.81 प्रतिशत)	167.04	5 (0.70 प्रतिशत)	6.08	151

यह पाया गया कि साठ दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विभाग ने पंजीकृत करदाताओं के 79.81 प्रतिशत प्रतिदायों की अनुमति दी तथा 151 आवेदन अस्वीकृत किए।

2.3.14 पिछले मुद्दे

मूल्यांकन, बकायों की वसूली तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामलों के संदर्भ में पिछले मुद्दे जिनका लेखापरीक्षा में निर्धारण किया गया, जैसा कि निम्नवत् है:

2.3.14.1 बकायों की वसूली

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को लम्बित कुल बकाया (मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर) ₹3,086.23 करोड़ था। विभाग ने बकायों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। ₹2610.10 करोड़ के बकायों को भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु संदर्भित किया गया था, ₹109.89 करोड़ को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, ₹16.69 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थे, ₹27.88 करोड़ को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित किया गया था, ₹27.19 करोड़ अपील के अन्तर्गत लम्बित थे तथा ₹294.48 करोड़ अन्य से वसूली योग्य थे।

2.3.14.2 व्यापारियों का कर निर्धारण

व्यापारियों का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के पूर्व अन्य लघु करों जैसे प्रवेश कर, विलास कर, मनोरंजन कर इत्यादि के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए 30 जून 2017 तक पुरानी कर व्यवस्था के तहत पंजीकृत व्यापारियों का कर निर्धारण विभाग द्वारा निर्धारित अवधि⁹ में पूर्ण किया जाना है। विभाग ने विश्व बैंक के साथ (दिसम्बर 2016) हिमाचल प्रदेश लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना को लागू करने के लिए अनुबंध किया। अनुबंध की अवधि 2018-2022 है। शर्तों में से एक के अन्तर्गत मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बन को निपटाना था। उपरोक्त अनुबंध के अनुसार कार्यक्रम की अवधि के अंत तक विभाग को 90 प्रतिशत निर्धारणों को पूर्ण करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी नोटिस की शर्तों की अनुपालना करने में व्यापारी के विफल रहने के अतिरिक्त व्यापारी के निर्धारण हेतु मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात पांच वर्षों के भीतर व्यापारी द्वारा देय कर की राशि को अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कर निर्धारण हेतु कार्यवाही करेगा।

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 अक्टूबर 2018 तक निर्धारण हेतु 1,68,690 मामले लम्बित थे। विभाग ने लम्बन को नवम्बर 2020 तक पूर्व-वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अन्तर्गत निपटाने का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सचिव, वस्तु एवं सेवा कर परिषद को 35 प्रतिशत विवादित कर मामलों को ब्याज एवं शास्ति सहित बट्टे-खाते में डालने की (जनवरी 2019) एक स्कीम भेजी। मामले में आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी।

उपायुक्त, राजस्व जिला बद्दी तथा सोलन ने कर निर्धारणों में लम्बन का कारण व्यापारियों से सांविधिक फार्म "सी" एवं "एफ" प्राप्त न करना तथा स्टाफ की कमी बताया।

2.3.14.3 निर्धारण हेतु नोटिस जारी करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि यदि किसी वर्ष से सम्बद्ध रिटर्न फाईल की गई है तथा इसमें महत्वपूर्ण विवरण सही एवं पूर्ण हैं तो व्यापारी का उस वर्ष के लिए कर निर्धारण किया गया माना जाएगा। यदि निर्धारण प्राधिकारी फाईल की गई रिटर्न से संतुष्ट नहीं है तो निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न फाईल करने के पांच वर्ष के भीतर नोटिस जारी करेगा। यदि निर्धारित प्रतिक्रिया नहीं देता है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार नोटिस जारी करने के पांच वर्ष के भीतर कर निर्धारण को अंतिम रूप देगा। तथापि, यदि निर्धारित प्रतिक्रिया देता है तब मामले के निर्धारण हेतु कोई समय सीमा नहीं है।

⁹ रिटर्न फाईल करने के वर्ष के पश्चात पांच वर्ष के भीतर।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (सोलन, सिरमौर एवं बद्दी) के बकाया मामलों की लेखापरीक्षा छानबीन से उदघाटित हुआ कि मूल्य वर्धित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत 1,17,986 मामले अंतिम निर्धारण हेतु लम्बित थे (जून 2019)। इसमें से 29,037 मामले 2005-06 से 2012-13 की अवधि से सम्बन्धित थे। विभाग ने फाईल रिटर्न करने के पश्चात पांच वर्ष की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त इन व्यापारियों को 2018 तथा 2019 के दौरान नोटिस जारी किए थे। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न फाईल करने के पांच वर्ष के भीतर निर्धारण हेतु नोटिस जारी करने थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे राज्य की राजस्व वसूली पर प्रभाव पड़ेगा।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने बताया (अप्रैल 2019) कि नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी का मामला मुख्य रूकावट थी। 10 एमबीपीएस की अपेक्षित गति के प्रति केवल 512 केबीपीएस गति उपलब्ध थी जिसके कारण कॉमन पोर्टल पर डाटा एक्सैस नहीं किया जा सका तथा कभी-कभी कनेक्शन बन्द हो जाता था। इसके अतिरिक्त, गलत मिलाप, रिटर्न के दोषी तथा प्रतिदाय आवेदन की जांच हेतु उचित एमआईएस डाटा उपलब्ध नहीं था। डाटा माईन एवं विश्लेषण बहुत कठिन था क्योंकि डाटा एक्सट्रैक्शन को कलाउड आधारित डाटा से किया जाना था। निवेश कर क्रेडिट की जांच हेतु ऐक्सैस ऑनलाईन उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यापारी ने स्रोत बिन्दु पर कर जमा करवा दिया था। यह सुझाव दिया गया कि पूर्ण ऑनलाईन प्रतिदाय प्रणाली की प्रकल्पना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सरकार/विभाग वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु इसकी तैयारी में तत्पर थे जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुमोदित आदर्श कानून के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों के अधिनियमन के संदर्भ में देखा जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर प्रथम जुलाई 2017 से नियमों/विनियमों में बारम्बार परिवर्तन किए गए थे। करदाताओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कारण रिटर्नों का फाईल करना स्थगित कर दिया था। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क रिटर्न फाईल करने से सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी हल प्रदान करने में सक्षम नहीं था। राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधान को लागू करने में पंगु थी क्योंकि इसकी इसमें सीमित भूमिका थी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमित के सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित गति सहित एक पूर्ण नेटवर्क प्रणाली की प्रकल्पना आवश्यक है। विभाग को पिछले मुद्दे जैसे पूर्व वस्तु एवं सेवाकर मामले, बकाया वसूली तथा समयबद्ध तरीके से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुलझाने की आवश्यकता है। पूर्व वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के प्रतिदायों के लिए आवेदन करने हेतु व्यापारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बिन्दु विभाग तथा सरकार को अप्रैल 2019 में सूचित किए गए थे; उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

2.4 "व्यापारियों को दी गई रियायत" पर लेखापरीक्षा

निर्धारण प्राधिकारियों ने अन्तरराज्यीय बिक्री पर व्यापारियों की पात्रता प्रमाणित किए बिना उनको रियायत तथा अत्यधिक छूट अनुमत की। अवैध, नकली तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक फार्म स्वीकार किए गए तथा फार्म-'सी' के बिना रियायत अनुमत की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹13.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त ₹8.87 करोड़ का ब्याज भी उदग्राह्य था।

परिचय

सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को रियायत तथा प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में अन्तरराज्यीय व्यापार में दो प्रतिशत कर की रियायती दर का प्रावधान है। क्रेता व्यापारियों को रियायत का लाभ उठाने के लिए उसके अपने राज्य से फार्म-सी¹⁰ लेकर विक्रेता व्यापारी को देना होगा। फार्म-सी में कर की दो प्रतिशत रियायती दर विनिर्माण एवं व्यापार दोनों के लिए है। यदि अन्तरराज्यीय बिक्री फार्म-सी के बिना होती है तो विक्रेता व्यापारी द्वारा राज्य में बेची गई सामग्री हेतु कर की प्रयोज्य दर लागू होगी।

एक व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी शाखा के लिए माल भेजता है, तो वह फार्म-एफ¹¹ को प्रस्तुत करके शून्य कर की रियायत का लाभ उठा सकता है, जिसको कि उस राज्य द्वारा जारी किया गया हो, जहां उस इकाई की शाखा स्थित है।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की ब्याज दर से तथा उसके पश्चात जब तक चूक सतत् जारी रहे, प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने, 1991, 1996, 1999, 2004 तथा 2013 में औद्योगिक नीति दिशा-निर्देशों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों हेतु रियायत तथा प्रोत्साहन पैकेज आरम्भ किया। इन नीति दिशा निर्देशों के अन्तर्गत विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न इकाइयां एक प्रतिशत रियायती दर पर (31 मार्च 2013 तक) कर का भुगतान करने हेतु पात्र होंगी। फार्म-'सी' की प्रस्तुति पर अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के क्रम में बिक्री के सम्बन्ध में यह डेढ़ प्रतिशत (एक अप्रैल 2013 से) में परिवर्तित किया गया। तथापि, वे औद्योगिक इकाइयां जो एक अप्रैल 2013 से या उसके बाद संचालन में आईं, उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अथवा वे मौजूदा औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने प्रतिष्ठापित क्षमता एवं श्रम शक्ति दोनों में पर्याप्त विस्तार (25 प्रतिशत) किया हो, उनके लिए वस्तु एवं सेवा कर लागू होने या पांच वर्षों की अवधि हेतु जो भी पहले आए, कर की रियायत दर एक प्रतिशत ही रहेगी।

इस रियायत का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी विनिर्माण इकाई को श्रेणी 'सी' क्षेत्र¹² में स्थित होना चाहिए तथा उसके कुल कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत वास्तविक रूप से हिमाचलवासी होने चाहिए। कुल नियुक्त कर्मचारियों में से 70 प्रतिशत वास्तविक रूप से हिमाचलवासी होने का प्रमाण औद्योगिक इकाई को हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विभाग से फार्म-'आई' प्राप्त करके निर्धारण प्राधिकारियों को देना होगा।

31 मार्च 2013 तक कर पर एक प्रतिशत की रियायती दर फार्म-'सी' प्रस्तुत करने पर नकारात्मक सूची¹³ वाली उन मदों सहित सभी मदों हेतु उपलब्ध थी। तथापि, 1 अप्रैल 2013 से मद्यनिर्माणशालाओं, आसवनी, गैर फलों/सब्जी आधारित

¹⁰ अन्तरराज्यीय बिक्री पर रियायत का लाभ लेने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को फार्म-'सी' जारी किया जाता है।

¹¹ फार्म-'एफ' को अन्य राज्य में इसकी शाखा में वस्तुओं के हस्तांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है।

¹² श्रेणी-क-क्षेत्र: कानूनगो (राजस्व प्राधिकारी) वृत्त के अन्तर्गत सम्मिलित, श्रेणी-ख-क्षेत्र: विकास खण्ड के अन्तर्गत तथा श्रेणी-ग-क्षेत्र: सभी जनजातीय क्षेत्र

¹³ नकारात्मक सूची में सम्मिलित मदें जिन पर रियायत दर पर कर लागू नहीं है।

मदिरालय तथा बोलतीकरण संयंत्रों एवं नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों को फार्म-सी प्रस्तुत करने पर दो प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर उद्गृहीत किया जाना था।

सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा किसी भी समय इस शर्त का उल्लंघन करने के किसी भी मामले में, इसके आगे कोई रियायत स्वीकार्य नहीं होगी तथा इस तरह की घटना में लिप्त ऐसी इकाई द्वारा उठाए गए प्रोत्साहन लाभ की वसूली की जाएगी व ऐसी इकाई पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

2014-15 से 2016-17 की अवधि को सम्मिलित करते हुए 'व्यापारियों को दी गई रियायत' पर लेखापरीक्षा, 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁴ में से सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से दिसम्बर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य संचालित की गई। सात नमूना-जांचित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 3,769 निर्धारित थे जिन्होंने रियायत का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने इन सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 692 व्यापारियों (18%) को चयनित किया। 692 व्यापारियों में से 103 व्यापारियों (15%) के दावों में अनियमितताएं पाई गई जिसमें सम्मिलित ₹13.89 करोड़ का कर प्रभावित हुआ। समीक्षा अवधि के दौरान राज्य की कुल केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियां ₹1,344.05 करोड़ थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.4.2 रियायत दर पर कर की अनियमित अनुमति

मार्च 2005 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार, विनिर्माण क्रियाकलापों में संलग्न इकाइयों अन्तरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय के दौरान बिक्री के सम्बन्ध में दो प्रतिशत की प्रयोज्य दर के बजाय एक प्रतिशत की रियायत दर पर कर के भुगतान के लिए पात्र होंगी, यदि इकाई ने इस सम्बन्ध का प्रमाणपत्र फार्म-आई उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त किया हो कि इसने कम से कम 70 प्रतिशत वास्तविक हिमाचलवासी को रोजगार दिया है तथा इस आशय का प्रमाणपत्र निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2017) एक व्यापारी के वर्ष 2012-13 से 2013-14 का फार्म-आई स्वीकार किया जो कि वर्ष 2005-06 में जारी किया था तथा इसमें दर्शाया गया था कि इकाई ने 70 प्रतिशत वास्तविक हिमाचलियों के बजाय 54.66 प्रतिशत को रोजगार दिया था। यह व्यापारी कर की रियायती दर हेतु पात्र नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी ने दो प्रतिशत की प्रयोज्य दर के बजाय ₹77.34 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायत दर से कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹77.34 लाख¹⁵ के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त ₹59.35 लाख (अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2017 की अवधि हेतु) का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

अपात्र व्यापारी को कर की रियायती दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹77.34 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

2.4.3 रियायत कर की गलत दर को लागू करना

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की 1 अप्रैल 2013 की अधिसूचना में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई को चलाए जा रहे व्यापारी द्वारा विनिर्मित अन्तरराज्यीय बिक्री अथवा व्यावसायिक माल की (नकारात्मक सूची में शामिल इकाई को छोड़ कर) बिक्री के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर को संगणित करके उद्गृहीत किया जाएगा तथा 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी पांच वर्षों की

¹⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, चम्बा, नूरपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

¹⁵ ₹77.34 करोड़ का दो प्रतिशत ₹154.68 लाख है तथा एक प्रतिशत ₹77.37 लाख (हानि ₹154.68 - ₹77.34) है।

अवधि हेतु अथवा माल एवं सेवा कर को लागू करने की तिथि से जो भी पहले हो ऐसे माल की कर योग्य कुल बिक्री पर 1.5 प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य होगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁶ में निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यापारियों को जोकि क्रॉफ्ट ऐण्ड प्रिंटिंग पेपरज तथा प्लास्टिक आर्टिकल्ज के विनिर्माण में लगे थे, जोकि नकारात्मक सूची¹⁷ में शामिल थे, को रियायत दर पर कर अनुमत किया था। ये व्यापारी 2010-11 से 2014-15 की कर अवधि हेतु ₹104.63 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की किसी रियायत दर को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। निर्धारण प्राधिकारियों ने अक्टूबर 2014 तथा अगस्त 2016 के मध्य व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय एक अथवा डेढ़ प्रतिशत की रियायत दर पर कर अनुमत किया तथा दो प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य ₹2.09 करोड़ की कर राशि के स्थान पर ₹1.47 करोड़ कर उद्गृहीत किया। अतः निर्धारण प्राधिकारी विनिर्मित माल की किस्म को सत्यापित करने में विफल रहे तथा कर की गलत रियायती दर को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹62.00 लाख का अल्प उद्ग्राहण हुआ। ₹50.43 लाख का ब्याज (अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2017 की अवधि हेतु) भी उद्ग्राह्य था।

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति का सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप ₹62.00 लाख के कर का अल्प उद्ग्राहण हुआ।

2.4.4 रियायत हेतु पर्याप्त विस्तार का सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2013 को जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल 2013 अथवा उसके बाद संचालित नई औद्योगिक इकाइयों पर उत्पादन शुरू करने की तिथि से अथवा मौजूदा औद्योगिक इकाइयों जिन्होंने प्रतिष्ठापन क्षमता एवं श्रमशक्ति दोनों पर पर्याप्त विस्तार (25 प्रतिशत) किया हो, के लिए पांच वर्षों की अवधि में या वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तक, जो भी पहले हो, कर की रियायती दर दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत उद्ग्राह्य होगी।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के निर्धारण अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁸ में निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप दिया जिन्होंने 2013-14 तथा 2014-15 वर्षों के लिए ₹78.19 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री की। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय एक प्रतिशत दर की रियायत दर को लागू किया तथा उद्योगों के व्यापक विस्तार का सत्यापन किए बिना उद्ग्राह्य डेढ़ प्रतिशत की दर से ₹1.17 करोड़ के स्थान पर ₹78.19 लाख कर उद्गृहीत किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया था कि इकाइयों ने 1 अप्रैल 2013 से अथवा उसके पश्चात् व्यापक विस्तार किया था तथा इस प्रकार यह इकाइयां कर की रियायती दर के लाभ हेतु योग्य नहीं थीं। इस प्रकार व्यापक विस्तार का सत्यापन किए बिना निर्धारण प्राधिकारियों ने कर की गलत दर को लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹39.10 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹24.06 लाख का ब्याज (अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2017 की अवधि हेतु) भी उद्ग्राह्य था।

पर्याप्त विस्तार का सत्यापन किए बिना रियायती दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप ₹39.10 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

¹⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी तथा ऊना

¹⁷ औद्योगिक इकाइयां जो अप्रैल 2013 की अधिसूचनानुसार कर की रियायती दर हेतु पात्र नहीं हैं।

¹⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन तथा ऊना

2.4.5 अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर को अनुचित रूप से लागू करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई 1992 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया कि वस्तुओं के अन्तरराज्यीय व्यवसाय एवं व्यापार के दौरान सूती-धागा, राजमाह तथा अनाज पर एक प्रतिशत कर उद्गृहीत किया जाएगा। इसके आगे, अप्रैल 2013 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं के अन्तरराज्यीय व्यवसाय एवं व्यापार के दौरान मई 1992 की अधिसूचना में शामिल मदों सहित (उनको छोड़कर जिनका विनिर्माण मद्यनिर्माणशाला, आसवनी, गैर फल/सब्जी आधारित मदिरालय एवं बोतलीकरण संयंत्र द्वारा किया गया है तथा नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों) 1 अप्रैल 2013 से कर की एक प्रतिशत की रियायती दर को परिवर्तित करके डेढ़ प्रतिशत कर दिया गया।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के निर्धारण अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁹ में निर्धारण अधिकारियों ने 2013-14 व 2014-15 के मध्य की कर अवधि हेतु चार व्यापारियों के कर निर्धारणों को मई 2015 व अक्टूबर 2016 के मध्य अंतिम रूप दिया। बिक्री की वस्तुएं जैसे सूती-धागा, चावल तथा राजमाह डेढ़ प्रतिशत दर पर कर योग्य थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹168.65 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर डेढ़ प्रतिशत की प्रयोज्य कर दर से ₹2.53 करोड़ का कर लगाने के स्थान पर एक प्रतिशत की गलत दर लगा कर ₹1.69 करोड़ की राशि उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹84.33 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹48.90 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹84.33 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.4.6 फार्म-सी के बिना रियायत प्रदान करना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में निर्धारित है, कि अन्तरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान व्यापारी को कर की रियायती दर का लाभ लेने के लिए खरीददार से फार्म-'सी' प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कर की पूर्ण दर का भुगतान करना होगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁰ में निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल 2015 में (वर्ष 2009-10 हेतु) तथा नवम्बर 2016 में (वर्ष 2014-15 हेतु) दो व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जिन्होंने ₹25.74 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री की थी जिसमें से ₹57.74 लाख के मूल्य की बिक्री फार्म-'सी' के साथ समर्थित नहीं थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर की डेढ़ प्रतिशत तथा दो प्रतिशत रियायती दर से ₹0.89 लाख की राशि उद्गृहीत की जबकि इन अन्तरराज्यीय लेन-देनों पर 13.75 प्रतिशत तथा 12.50 प्रतिशत की दर से कर योग्य ₹7.87 लाख की राशि उद्गृहीत की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹6.98 लाख²¹ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। ₹2.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2018) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कर के पुनर्निर्धारण हेतु व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

2.4.7 अनुचित घोषणा-फार्मों को स्वीकार करना

व्यापारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देने से पूर्व अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के दौरान बिक्री के मामले में कर में पूर्ण या आंशिक छूट पाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर में छूट का दावा करने के लिए सांविधिक फार्म-'सी' तथा 'एफ' पूर्वापेक्षित है। फार्म-'सी' क्रेता द्वारा विक्रेता को अन्तरराज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान रियायत के लिए दावे हेतु प्रदान किया जाता है। ये फार्म तीन भागों में

¹⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बददी तथा नूरपुर

²⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा: एक व्यापारी: ₹0.57 लाख तथा सोलन: एक व्यापारी ₹6.41 लाख

²¹ ₹52.33 लाख X 12.25 प्रतिशत (13.75% - 1.50%) + ₹5.41 लाख X 10.5 प्रतिशत (12.5%-2%)

जारी किए जाते हैं, अर्थात् मूल, प्रतिलिपि, तथा प्रतिपण। न्यायिक आदेश के अनुसार मूल फार्म प्रस्तुत करने पर जिसमें सम्पूर्ण विवरण शामिल होते हैं, जैसे कि जारी करने की तिथि, लेन-देन विवरण, क्रेता व विक्रेता के नाम, फार्म का मूल्य तथा वह अवधि जिससे ये फार्म संबद्ध है; इत्यादि, कर की रियायती दर का दावा करने हेतु अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने 237 व्यापारियों के रियायती फार्मों की नमूना जांच की तथा 48 व्यापारियों (20%) के रियायती फार्मों में अनियमितताएं पाई गईं जिसमें सम्मिलित ₹10.18 करोड़ का कर प्रभावित हुआ।

2.4.7.1 फार्म - 'सी'

(i) सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²² में निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल 2015 व मार्च 2017 के दौरान 33 विक्रेताओं के 2005-06 से 2014-15 की कर अवधि हेतु कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए अनुचित फार्म- 'सी' पर अन्तरराज्यीय बिक्री पर कर की गलत रियायती दर अनुमत की। फार्म में क्रेता/ विक्रेता के गलत पते लिखे थे, महत्वपूर्ण इनपुट एवं प्रविष्टियों पर काट-छांट व उपरिलेखन था, या फिर मूल फार्म के स्थान पर फोटोकॉपी/प्रतिपण थे (अनुलग्नक-VI)। न्यायिक आदेश के अनुसार कर की रियायती दर का दावा करने हेतु फार्म- 'सी' की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य था ताकि कर के भुगतान से बचने की दृष्टि से धोखाधड़ी की दलाली एवं मिलीभगत हेतु फार्म का गलत प्रयोग रोका जा सके। ये फार्म कर निर्धारण करते समय अस्वीकार किए जाने के योग्य थे।

अनुचित फार्म- 'सी' में ₹12.80 करोड़ की राशि सम्मिलित थी तथा निर्धारण प्राधिकारियों ने एक/दो प्रतिशत की रियायती दर पर ₹13.12 लाख का कर उद्गृहीत किया जबकि चार, पांच, 12.50 व 13.75 प्रतिशत की दर से ₹83.76 लाख का कर उद्ग्राह्य था। अवैध एवं दोषपूर्ण फार्मों को अस्वीकृत न करने के परिणामस्वरूप ₹70.64 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। ब्याज के ₹84.15 लाख भी उद्ग्राह्य थे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि आठ मामलों में ₹21.14 लाख²³ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया तथा वसूली की गई थी जबकि पांच व्यापारियों ने मूल फार्म- 'सी' जमा किया था तथा शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

(ii) लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बर्दा, सिरमौर एवं सोलन की निर्धारण फाइलों के साथ संलग्न फार्म- 'सी' की जांच की तथा निम्न कमियां पाई:

(क) लेखापरीक्षा ने निर्धारण फाइलों में रखे ₹4.57 करोड़ मूल्य के फार्म- 'सी' का प्रति-सत्यापन सम्बन्धित राज्य की ऑन लाईन प्रणाली में रखे उन्हीं फार्मों के विवरणों के साथ किया। आठ फार्मों में क्रेता व्यापारियों के नाम भिन्न थे। एक फार्म में जारी करने की तिथि भिन्न थी।

(ख) छः मामलों में ₹2.88 करोड़ मूल्य के फार्म- 'सी' की सत्यापन रिपोर्ट अभिलेखों में रखी गई थी। इन फार्मों की ऑन लाईन सत्यापन प्रस्थिति दर्शाती है कि पांच मामलों में 'उपर्युक्त इनपुट से मिलता कोई रिकार्ड नहीं पाया गया' तथा एक मामले में 'इस फार्म का कोई अभिलेख विद्यमान नहीं है'।

(ग) एक मामले में व्यापारी की फाइल में ₹6.75 लाख मूल्य का फार्म- 'सी' रखा गया था जबकि ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट में इसी फार्म का मूल्य ₹2.91 लाख था।

²² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त 2015-16-बर्दा (12 व्यापारी: ₹31.60 लाख), नाहन (तीन व्यापारी: ₹3.56 लाख), नूरपुर (दो व्यापारी: ₹3.46 लाख), सोलन (सात व्यापारी: ₹2.64 लाख) तथा ऊना (चार व्यापारी: ₹22.30 लाख) 2016-17-ऊना (पांच व्यापारी: ₹7.08 लाख)

²³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: सिरमौर: एक व्यापारी : ₹5,000, सोलन: पांच व्यापारी: ₹20.90 लाख, ऊना: दो व्यापारी: ₹0.19 लाख

अभिलेख में रखे फार्म तथा ऑनलाईन के माध्यम से सत्यापित फार्म बेमेल नहीं हो सकते क्योंकि ऑनलाईन प्रणाली में फार्म में भरी जानकारीयों सम्पादित नहीं की जा सकती थी क्योंकि ये फार्म उस सम्बन्धित राज्य की वेबसाइट से उत्पन्न किए गए थे जिसमें व्यापारी पंजीकृत थे। अतः ऑनलाईन प्रणाली से उत्पन्न उपर्युक्त बेमेल मामलों में अनाचार/धोखाधड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(iii) फार्म-'सी' में टिन सहित क्रेता एवं विक्रेता का नाम, जारी करने की तिथि, राशि सहित बीजक का विवरण, लेनदेन की तिमाही तथा वर्ष-वैधता का उल्लेख होता है। एक तिमाही में किए गए लेनदेन हेतु एक ही फार्म-'सी' का उपयोग किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाए गए विचलनों का वर्णन निम्नवत् है:

- (क) आठ फार्मों में ₹2.62 करोड़ मूल्य के लेनदेन दो अलग-अलग निर्धारण वर्षों से संबद्ध थे जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभासी थे।
- (ख) 65 फार्मों में जिनका मूल्य ₹14.87 करोड़ था में जारी करने की तिथि लेनदेन की अवधि के बाद की थी जो यह दर्शाती है कि सांविधिक फार्म विक्रेता को पहले से ही जारी किए गए थे।
- (ग) ₹298.16 करोड़ मूल्य के 149 फार्मों में फार्म जारी करने की तिथियां तथा वैधता अवधि को फार्मों में दर्शाया नहीं गया था।
- (घ) ₹46.48 लाख मूल्य के छः फार्मों में जारी करने की तिथि 1983, 1996, 2000, 2007 तथा 2008 थी जबकि लेनदेन की अवधि 2011-12 तथा इसके बाद की थी।
- (ङ) ₹74.58 लाख राशि के पांच फार्मों को फार्म में उल्लिखित वैधता अवधि के बाद उपयोग किया गया।
- (च) ₹8.29 करोड़ मूल्य के 10 फार्मों में न तो जारी करने की तिथि और न ही बिल की तिथि दर्ज की गई थी परन्तु निर्धारण प्राधिकारी ने बिना सत्यापित किए इन फार्मों को स्वीकार किया।

फार्म-'सी' का कुल मूल्य जिसमें कोई कर रियायत उपलब्ध नहीं थी, ₹332.65 करोड़ निकाला गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹10.18 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। ब्याज के ₹8.87 करोड़ भी उद्ग्रहण थे।

उपर्युक्त इंगित की गई कमियां, इस तथ्य की परिचायक हैं कि निर्धारण प्राधिकारियों ने फार्म सत्यापित नहीं किए थे तथा त्रुटिपूर्ण/अनुचित फार्म स्वीकार किए गए एवं कर की रियायती दर अनुमत की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹10.89 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया कि सभी सांविधिक फार्मों का सत्यापन करना संभव नहीं था। आगे यह भी बताया कि फार्मों का सत्यापन या तो 'टीआईएनएक्सएसवाईएस' के माध्यम से ऑनलाईन रूप से तथा सम्बन्धित राज्य की वेबसाइट में यादृच्छिक (रेन्डमली) रूप से किया गया या सम्बन्धित राज्य को फार्म सही होने के सत्यापन करने हेतु लिखित में दिया गया था।

2.4.7.2 फार्म - 'एफ'

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारी को शाखा हस्तांतरण/खेप की बिक्री के मामलों में कर में छूट प्रदान की जाएगी यदि वह इन्हें फार्म-'एफ' पर घोषणा करके समर्थित करता हो। इसके अतिरिक्त किसी एक फार्म-'एफ' में केवल एक केलेण्डर मास के लेनदेनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर भुगतान न की गई राशि पर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर पर ब्याज भी उद्ग्रहण है।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁴ में निर्धारण प्राधिकारियों ने मई 2015 व मार्च 2016 के दौरान सात व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए 2009-10 से 2013-14 की कर अवधि हेतु ₹5.82 करोड़ के स्टॉक के हस्तांतरण हेतु ₹30.61 लाख के कर की छूट फार्म-‘एफ’ के प्रति अनुमत किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन फार्म-‘एफ’ को निर्धारण के समय अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इनमें एक केलेण्डर मास में एक से अधिक के लेनदेन को सम्मिलित किया गया था। तथापि, सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन फार्मों की उपयुक्त छानबीन नहीं की गई तथा रियायत की अनुमति प्रदान कर दी जिसके परिणामस्वरूप ₹30.61 लाख के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। ₹29.92 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था (अनुलग्नक-V)।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दो मामलों में ₹5,000²⁵ की अतिरिक्त मांग सृजित तथा वसूली की गई थी जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

निष्कर्ष

विभाग ने उन व्यापारियों को कर की रियायती दर अनुमत की जिन्होंने निर्धारित सीमा में वास्तविक हिमाचलियों को नियुक्त नहीं किया था तथा अयोग्य व्यापारियों की नकारात्मक सूची में आने वाली वस्तुओं पर कर की गलत दर लागू की। रियायत को घोषणा फार्म प्रस्तुत किए बिना ही प्रदान किया गया था। विभाग में व्यापारियों को पर्याप्त विस्तार हेतु प्रदान की गई रियायत की समीक्षा तथा सत्यापन के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। निर्धारण प्राधिकारियों ने फार्मों का सत्यापन नहीं किया था तथा दोषपूर्ण/अनुचित फार्मों को स्वीकार किया एवं कर की रियायती दर को अनुमत किया। एक से अधिक महीनों के लेनदेनों को शामिल करते हुए फार्म-‘एफ’ पर रियायत को अनुमत किया था।

विभाग एवं सरकार को उपर्युक्त बिन्दु जुलाई 2018 तथा अप्रैल 2019 में प्रतिवेदित किए गए थे, उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

²⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी (दो व्यापारी: ₹11.71 लाख), शिमला (एक व्यापारी: ₹7.01 लाख), सोलन (दो व्यापारी: ₹8.05 लाख), तथा ऊना (दो व्यापारी: ₹3.84 लाख)

²⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन: एक व्यापारी: ₹0.02 लाख तथा ऊना: एक व्यापारी: ₹0.03 लाख

2.5 "विभिन्न प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग में बकाया राजस्व" पर लेखापरीक्षा

क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा बकायों को गलत प्रतिवेदित करने तथा अनुश्रवण में कमी से विभागीय अभिलेखों में बकाया को गलत दर्शाया गया। विभाग द्वारा बकायों की वसूली हेतु समयोचित कार्रवाई करने के अभाव से प्रतिप्रेषित मामलों के कर निर्धारणों में विलम्ब, जब्त सम्पत्तियों की गैर-नीलामी तथा अधिनियम/नियमों में बकायों को वसूलने के लिए समयसीमा का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹185.69 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

परिचय

कर की राशि, अतिरिक्त कर माँग, ब्याज एवं शास्ति की न चुकाई गई राशि जो व्यापारियों से वसूली योग्य है, परन्तु जिसे निर्धारित समय में नहीं चुकाया गया, को "बकाया" के रूप में परिभाषित किया गया है। बिक्री तथा व्यापार पर कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है जिसको आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संग्रहीत किया जाता है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में निर्धारित है कि व्यापारी को जमा किए गए कर की कोषागार रसीद सहित अपनी रिटर्न मासिक या त्रैमासिक रूप²⁶ फाईल करना अपेक्षित है। यदि कर माँग नोटिस में दर्शाई गई तिथि के भीतर देय कर की अदायगी नहीं होती है तो विभाग राशि की वसूली हेतु कार्यवाही निम्न तरीके से कर सकता है।

विभाग द्वारा सरकारी देयों की बकाया राशि के निर्धारण तथा अन्तिम रूप देने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी दोषी को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि दोषी तीन नोटिस देने के बाद भी सरकारी देयों का भुगतान नहीं करता है अथवा विभाग को उत्तर नहीं देता है या अपीलीय आयुक्त के समक्ष अपील करता है, तो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित करेगा तथा राजस्व रिकार्ड में लाल प्रविष्टि इंड्राज (दर्ज) करने हेतु मामले को राजस्व प्राधिकारी के साथ उठाएगा ताकि व्यापारी की सम्पत्ति को किसी भी तरीके से न बेचा जा सके जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री, अधिकार हस्तांतरण तथा पट्टे इत्यादि। राजस्व वसूली अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि दोषी के द्वारा भू-राजस्व का बकाया देय है जिसकी सम्पत्ति बकाया उपार्जित होने वाले स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में भी है, तो समाहर्ता उस जिले के समाहर्ता को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जिसमें दोषी का नाम तथा ऐसे अन्य विवरण जो सम्पत्ति की पहचान हेतु आवश्यक हो, व्यापारी द्वारा देय राशि तथा जिस कारण से देय है, प्रेषित कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग को सरकार को देय राशि के बकायों को भू-राजस्व के रूप में वसूलने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित²⁷ की गई है। सरकार को देय राशि की वसूली दोषी पर याचिका दायर करके, गिरफ्तार एवं कैद करके, धनाभाव तथा चल सम्पत्ति की बिक्री, सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा कुर्की तथा दोषी की चल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही अपनाकर की जा सकती है। तथापि, अधिनियम में वसूली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है (अनुलग्नक-VI)।

आबकारी एवं कराधान विभाग भी प्राप्ति शीर्ष "0039-राज्य आबकारी", "0040-व्यापार एवं बिक्री पर कर/मूल्य वर्धित कर", "0042-यात्री एवं माल कर" तथा "0045-पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण हेतु जिम्मेदार है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क, लाईसेंस फीस, ब्रांड फीस, आयात/निर्यात फीस, समयोपरि फीस, ब्याज एवं शास्ति का संग्रहण '0039-राज्य आबकारी' प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है। प्राप्ति शीर्ष "0042-यात्री

²⁶ (त्रैमासिक रिटर्न) एक करोड़ तक 40 दिन के भीतर, एक करोड़ से अधिक किन्तु पांच करोड़ से अधिक नहीं प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिन के भीतर (मासिक रिटर्न) पांच करोड़ से अधिक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक मास के समाप्त होने से पैंतालीस दिनों के भीतर।

²⁷ दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 के मध्य समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता की शक्तियाँ आबकारी विभाग को प्रत्यायोजित की गई।

एवं माल कर" के अन्तर्गत व्यावसायिक मोटर वाहन से प्राप्त यात्री कर, वस्तु कर, अतिरिक्त वस्तु कर तथा अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों के उद्ग्रहण एवं वसूली को हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर नियम, 1957 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

नवम्बर 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि से सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के कार्यालय तथा 12 में से सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁸ के बकाया सम्बन्धी अभिलेखों का परीक्षण किया। लम्बित बकायों के 8,725 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 7,500 मामले चयनित किए जिनमें ₹3,060.83 करोड़ का बकाया सम्मिलित था। इनमें से 1,004 मामलों में ₹185.69 करोड़ की धनराशि से अन्तर्ग्रस्त अनियमितताएं ध्यान में आईं, जिन्हे निम्नवत् विवेचित किया है:

2.5.2 बकायों तथा भू-राजस्व बकायों के मामलों की स्थिति

देय तिथि²⁹ के पश्चात मूल्य वर्धित कर से सम्बन्धित मांगों यदि मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं वसूली जाती तो वे भू-राजस्व के अन्तर्गत बकायों के रूप में वसूली योग्य हो जाएंगी। दोषियों से सरकारी राशि की तुरन्त वसूली सुनिश्चित करने हेतु विभागीय प्राधिकारियों को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता/समाहर्ता की शक्तियां सौंपी गई है।

31 मार्च 2017 को विभिन्न मुख्य प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत राज्य के बकायों अर्थात् चयनित इकाइयों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 2.9: बकायों की स्थिति

						₹ करोड़ में
वसूली हेतु लम्बित बकाया	मुख्य शीर्ष 0039-राज्य आबकारी शुल्क	मुख्य शीर्ष 0040-मूल्य वर्धित कर	मुख्य शीर्ष 0042-यात्री एवं माल कर	मुख्य शीर्ष 0045-अन्य कर शुल्क	कुल बकाया	अन्तर्ग्रस्त मामलों की कुल संख्या
राज्य	86.40	2,958.37	7.06	65.63	3,117.46	8,725
सात नमूना-जांचित इकाइयां						
बद्दी	7.52	406.87	0.74	20.29	435.43	1,225
बिलासपुर	1.35	30.40	0.21	19.15	51.11	424
मण्डी	2.30	16.50	1.93	0.01	20.74	433
शिमला	18.53	16.68	0.41	0.85	36.46	1,222
सिरमौर	10.94	2,249.14	0.35	10.25	2,270.68	768
सोलन	7.52	92.54	0.58	7.30	107.94	2,392
ऊना	28.31	107.43	0.32	2.41	138.47	1,036
कुल इकाइयां	76.47	2,919.56	4.54	60.26	3,060.83	7,500

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0040-व्यापार एवं बिक्री पर कर/मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत बकाया"

पूरे राज्य हेतु मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0040-व्यापार एवं बिक्री पर कर/मूल्य वर्धित कर" के अन्तर्गत ₹2,958.37 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लम्बित पड़ा था, जो कि 1989-90 से संचित हुआ था।

²⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

²⁹ निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के अनुसार अथवा कर मांग नोटिस जारी करने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर कर जमा करवाना चाहिए।

नमूना-जांचित इकाइयों में मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत बकाया मामलों का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.10: मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया मामलों की स्थिति

बकायों की श्रेणी	₹ करोड़ में							
	10 वर्षों से अधिक (2006-07 तक)		तीन वर्षों से अधिक (2007 से 2014 तक)		तीन वर्षों से कम (2014 से 2017 तक)		योग	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
वसूली हेतु लम्बित कुल बकाया	1,456	52.70	2,878	114.82	2,891	2,752.04	7,225	2,919.56
हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आगे बढ़ाने हेतु घोषित बकाये	219	41.04	120	60.88	268	2,487.96	607	2,589.88
विभाग के पास लम्बित तथा भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित न किए गए बकाये	1,237	11.66	2,758	53.94	2,623	264.08	6,618	329.68

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹2,919.56 करोड़ के 7,225 मामले वसूली हेतु लम्बित थे जिसमें से ₹2,589.88 करोड़ के केवल 607 मामलों को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया जा चुका था। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹329.68 करोड़ के 6,618 बकाया मामलों को घोषित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.5.3 बेमेल बकाया आंकड़े

बकाया आंकड़ों विभिन्न स्तर पर संकलित किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान अधिकारी क्षेत्रीय स्तर की इकाई है। प्रत्येक सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के आबकारी एवं कराधान अधिकारी से बकायों का मासिक विवरण प्राप्त करता है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त आंकड़ों को समेकित करता है तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मासिक आंकड़े भेजता है। सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राप्त बकाया आंकड़ों को आबकारी एवं कराधान आयुक्त के स्तर पर प्रत्येक माह समेकित किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर पर संकलित आंकड़े पूरे राज्य के बकाया आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। सम्बद्ध निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रारम्भ की गई बकायों की वसूली के अनुश्रवण हेतु एक केन्द्रीकृत अद्यतन डाटा बेस, जिसमें वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि का जिले-वार/दल-वार विवरण, जमा, वर्ष के दौरान वसूली तथा वर्ष के अन्त में बकाया राशि को दर्शाया गया हो, का शीर्ष स्तर पर रख रखाव किया जाना अपेक्षित है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेख की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि कार्यालय ने बकायों की वसूली के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना का अनुरक्षण नहीं किया था जिसमें वर्ष के आरम्भ में वसूली योग्य बकाया राशि का जिले-वार/दल-वार विवरण, वर्ष के दौरान जमा, वर्ष के दौरान की गई वसूली तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेष दर्शाया गया हो।

लेखापरीक्षा ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के समेकित अभिलेखों का परीक्षण किया। बकाया आंकड़ों में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी में लम्बित बकायों को ₹16.50 करोड़ दर्शाया गया था जबकि आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेख में इसे ₹14.69 करोड़ दर्शाया गया था।
- आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेखों में 31 मार्च 2017 को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी के लिए ₹406.87 करोड़ तथा शिमला के लिए ₹16.68 करोड़ बकाया राशि दर्शाई गई थी, जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी के अभिलेखों में यह ₹389.15 करोड़ तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के अभिलेखों में ₹15.35 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने भिन्नता/बेमेल के कारणों का विश्लेषण किया तथा देखा कि वर्ष 2016-17 के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने दो आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के बकाया विवरण में बकाया नहीं बताया था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने वर्ष 2016-17 के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला की बकाया के रूप में ₹7.49 करोड़ की राशि सरकार को सूचित की थी जबकि लेखापरीक्षा को ₹16.68 करोड़ का असमायोजित बकाया सूचित किया था।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकारते हुए (जून 2018) बताया कि कोई भी केन्द्रीकृत डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

अनुश्रवण की कमी, विस्तृत डाटाबेस का गैर-अनुरक्षण तथा मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया गया।

2.5.4 बकाया विवरणियों का अनुश्रवण न करना

नवम्बर 2014 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालय सुनिश्चित करेंगे कि बकाया रजिस्टर का दल-वार अनुरक्षण किया गया है तथा इसे मासिक आधार पर वसूली के आंकड़ों सहित अद्यतन किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अप्रेषित की जा रही बकायों की मासिक विवरणी के माध्यम से बकायों का अनुश्रवण करेगा।

सात चयनित क्षेत्रीय इकाइयों (नवम्बर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) की मासिक बकाया विवरणियों की लेखापरीक्षा जाँच में उद्घाटित हुआ कि:

- लेखापरीक्षा ने बकाया विवरणियों की सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के भू-राजस्व बकाया रजिस्टर के साथ प्रति जाँच की गई तथा उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी दल-वार बकाया रजिस्टर का अनुरक्षण तथा मासिक आधार पर वसूली के आंकड़ों के साथ अद्यतन नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 को ₹1.10 करोड़ के 76 मामले भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किए गए जबकि भू-राजस्व बकाया रजिस्टर में ₹95.28 लाख के 12 मामले दर्ज किए गए जिसमें से ₹15.69 लाख का एक मामला बकाया विवरणी से मेल खा रहा था। तथापि, बकायों के शेष मामले भू-राजस्व बकाया रजिस्टर में दर्ज नहीं किए थे अथवा बकाया विवरणियों से मेल नहीं खा रहे थे।
- सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की बकाया विवरणियों की जाँच से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में निर्धारण प्राधिकारी ने दल-वार बकाया रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया था तथा आंकड़ों को मासिक आधार पर अद्यतन नहीं किया था। लेखापरीक्षा के एक मामले में पाया गया कि ₹2.34 करोड़ के मांग नोटिस एक व्यापारी को जारी किए थे जिसमें से ₹62.62 लाख की वसूली हो चुकी थी तथा ₹1.71 करोड़ की शेष राशि अभी भी वसूली हेतु लम्बित पड़ी थी। तथापि, बकाया विवरणी में केवल ₹87.57 लाख ही शेष के रूप में दर्शाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹83.43 लाख के बकायों का अल्प लेखाकरण हुआ।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी ने बताया (जनवरी 2019) कि बकायों के संकलन की प्रक्रिया चल रही थी तथा इन्हें शीघ्र ही ठीक कर लिया जाएगा।

अनुश्रवण की कमी, विस्तृत डाटाबेस का गैर-अनुरक्षण तथा नियमित समीक्षा एवं आंकड़ों का मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया गया।

2.5.5 अधिनियमों/नियमों में खामियां

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर/मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारण/छानबीन, बकायों की वसूली हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की पूर्णता, तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा बकायों की आवधिक समीक्षा हेतु तथा व्यापार की मात्रा के सन्दर्भ में व्यापारियों से प्रतिभूति/सुरक्षा प्राप्त करने हेतु कोई समयसीमा निश्चित नहीं की थी।

इस अधिनियम में उपर्युक्त कमियां इस तथ्य के साथ युग्मित है कि निर्धारणों का लम्बन पहले से ही असाधारण था जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि का संचय हुआ। इससे राज्य के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेखापरीक्षा में पड़ोसी राज्य अर्थात् हरियाणा तथा पंजाब के संदर्भ में मूल्य वर्धित कर अधिनियमों की प्रति जांच की गई तथा देखा गया कि पड़ोसी राज्यों के मूल्य वर्धित कर अधिनियमों में व्यापारियों के निर्धारण के लिए तीन वर्षों की समयसीमा निर्दिष्ट की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश आमतौर पर कई मामलों में पंजाब अधिनियमों का पालन करता है, वार्षिक रिटर्न फाईल करने की तारीख से पांच साल के भीतर निर्धारण के लिए नोटिस देने को छोड़कर निर्धारण हेतु कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। राजस्व की हानि जो उपर्युक्त अपर्याप्तता के कारण हुई, की चर्चा नीचे की गई है:

2.5.5.1 निर्धारण में विलम्ब तथा विभाग की निष्क्रियता के कारण बकायों का संचय

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अनुसार जब किसी व्यापारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की निरस्तीकरण की तिथि तक की अवधि हेतु व्यापारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर का निर्धारण किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा नवम्बर, 2014 में जारी अनुदेशों के अनुसार सभी निर्धारण प्राधिकारी प्रत्येक दोषी के लिए अलग वसूली फाईल तैयार करेंगे ताकि दोषियों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित की जा सके। ऐसे सभी मामलों में जहाँ बकाये छः माह से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं तथा वसूली नहीं की जा सकी है, मामलों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें भू-राजस्व बकाया घोषित किया जाना चाहिए। बकायों की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु राजस्व वसूली अधिनियम, 1905 के अन्तर्गत अन्य जिलों/राज्यों के उपायुक्तों को भेजे गए मामलों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई होनी चाहिए।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁰ की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने शेष बकायों की जांच या निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मामलों को आगे नहीं बढ़ाया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:

I. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना के कार्यालय में एक व्यापारी ने मई 2009 में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने हेतु आवेदन किया था जबकि उसकी कर देयताएँ कर वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए निर्धारण हेतु लम्बित थी। निर्धारण प्राधिकारी ने कर देयताओं का निर्धारण किए बिना ही उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इसके अतिरिक्त निर्धारण प्राधिकारी ने ₹17.44 करोड़ की अतिरिक्त कर माँग के साथ एक पक्षीय आधार पर समान कर अवधि के लिए जनवरी तथा अगस्त, 2013 के मध्य व्यापारी की कर देयताओं का निर्धारण किया था लेकिन व्यापारी ने कर जमा नहीं किया। इस प्रकार पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने से पहले कर देयताओं का निर्धारण करने में निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर विफलता के कारण बकायों का संचय हुआ तथा ₹17.44 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

³⁰ सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त बददी, सिरमौर तथा ऊना

II. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बर्दा में निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2009 में एक व्यापारी के वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया तथा ₹17.07 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया। व्यापारी ने मांग का भुगतान नहीं किया। व्यापारी के राजस्व रिकार्ड में ₹17.07 लाख की कर देयता के प्रति अप्रैल 2012 में लाल प्रविष्टि³¹ की गई। फर्म को जून 2012 में नीलाम किया गया तथा एक अन्य व्यापारी ने फर्म को खरीदा। फर्म के नए मालिक ने अक्टूबर 2012 में ₹17.07 लाख की बकाया कर देयता का भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2016 में वर्ष 2007-08 से 2011-12 हेतु मूल व्यापारी के कर का निर्धारण किया तथा ₹8.48 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग का सृजन किया।

निर्धारण प्राधिकारी वर्ष 2006-07 हेतु मांग के भुगतान में मूल व्यापारी की चूक के बारे में जागरूक था तथा अप्रैल 2012 में लाल प्रविष्टि भी की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी को वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए व्यापारी के कर का तुरंत निर्धारण करना चाहिए था क्योंकि फर्म का स्वामित्व बदल रहा था, जो कि नहीं किया गया। अतः दोषी व्यापारी के कर निर्धारण में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप ₹8.48 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

III. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 1995 तथा मार्च 2002 के मध्य 1989-90 से 1992-93 की अवधि हेतु एक व्यापारी के कर का निर्धारण किया। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹1.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया जबकि ऋण की अदायगी न होने के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम ने 20 जनवरी 1993 को फर्म पर पहले ही अधिकार कर लिया था। इस प्रकार कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने में लगे लम्बे समय (पांच से 12 वर्ष) के कारण 28 वर्षों के बीत जाने पर भी राजस्व की वसूली नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹1.98 करोड़ के बकाया का संचय हुआ तथा राज्य के राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

IV. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन में लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यापारियों के 1997-98 से 2004-05 हेतु दिसम्बर 2006 तथा नवम्बर 2008 के मध्य कर निर्धारण तैयार किए थे तथा ₹59.12 लाख की एक अतिरिक्त माँग का सृजन किया, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने दोषियों की सम्पत्तियों को कुर्क करने हेतु शेष बकायों को भू-राजस्व बकाया मामले के रूप में घोषित नहीं किया था। इस प्रकार भू-राजस्व बकाया के अन्तर्गत मामले को आगे बढ़ाने हेतु निर्धारण प्राधिकारी की निष्क्रियता के कारण ₹59.12 लाख की वसूली की कम सम्भावना थी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक बकायों का संचय हुआ।

व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब तथा व्यापारियों के विरुद्ध अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई न होने के परिणामस्वरूप ₹26.51 करोड़ की हानि हुई।

2.5.6 सुरक्षा तथा जमानती बंध पत्र प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध पत्र सहित जमानती बंध पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्रतिभूति सुरक्षा दस हजार रुपये से कम नहीं होगी लेकिन एक वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता से अधिक नहीं होगी।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³² की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि तीन आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में मूल्य वर्धित कर की परिधि के अन्तर्गत 278 व्यापारियों में से 12 व्यापारियों का पंजीकरण करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने जमानत/सुरक्षा राशि प्राप्त नहीं की थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2002-03 से

³¹ राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि सरकार की देयताओं को दर्शाती है ताकि किसी भी तरीके से सम्पत्ति का निपटान न किया जा सके।

³² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी, सोलन तथा ऊना

2014-15 हेतु व्यापारियों के कर निर्धारणों को (अक्टूबर 2007 तथा जनवरी 2017 में मध्य) अन्तिम रूप दिया तथा ₹64.86 करोड़ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया परन्तु व्यापारियों ने कर मांग को जमा नहीं किया था।

पंजीकरण के समय व्यापारियों से सुरक्षा/जमानत प्राप्त न करना तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यापारियों के कर निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹64.86 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

2.5.7 प्रतिप्रेषित मामलों का निर्धारण न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी के अतिरिक्त माँग के आदेशों से असन्तुष्ट है तो वह अपीलीय प्राधिकारी के पास पुनर्विचार हेतु अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 2014 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सभी निर्धारण प्राधिकारी प्रतिप्रेषित मामलों सहित सभी लम्बित कर निर्धारण मामलों के निपटान हेतु उचित सावधानी बरतेंगे।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³³ के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी कराधान आयुक्तों में निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच वर्ष की नियत अवधि के भीतर कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए तथा जुलाई 2004 (वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए) तथा मार्च 2015 (वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए) में कर का निर्धारण किया था। ₹51.40 करोड़ की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध असंतुष्ट व्यापारियों ने अपील कर दी। अपीलीय प्राधिकारी ने व्यापारियों को एक माह के भीतर सम्बन्धित अभिलेख सहित पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के आदेशों के साथ जुलाई, 2005 तथा अगस्त, 2015 के मध्य मामलों का प्रतिप्रेषण किया। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की अवधि तक (अप्रैल 2018) मामलों का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया था। इन मामलों का कर निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹51.40 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

निर्धारण में विलम्ब तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेशानुसार एक माह की अवधि के भीतर प्रतिप्रेषित मामलों का कर निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹51.40 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

2.5.8 राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया को आरम्भ न करना

राजस्व वसूली अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी ऐसे दोषी व्यापारी जिसकी सम्पत्ति बकाया उपाजित होने वाले स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में भी है, के द्वारा यदि भू-राजस्व की अदायगी देय है, तो समाहर्ता उस जिले के समाहर्ता को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जिसमें दोषी का नाम बताते हुए तथा ऐसा अन्य ब्यौरा जो पहचान हेतु आवश्यक हो तथा उसके द्वारा देय राशि तथा जिस कारण से देय है, प्रेषित कर सकता है।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन में निर्धारण प्राधिकारियों ने (अक्टूबर 1995 तथा जुलाई 2014 के मध्य) 1985-86 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए 12 व्यापारियों का कर निर्धारण किया था तथा ₹1.34 करोड़ ब्याज तथा शास्ति सहित अतिरिक्त मांग सृजित की थी। परन्तु व्यापारियों द्वारा इसे जमा नहीं किया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने सितम्बर 2001 तथा अगस्त 2015 के मध्य भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूले जाने वाले मामलों को घोषित किया था। इन व्यापारियों की सम्पत्ति संबन्धित समाहर्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण जहां सम्पत्ति स्थित थी, राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र वहां के जिला समाहर्ताओं को जारी किया जाना था, जो कि नहीं किया गया था।

राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया को आरम्भ न करने के परिणामस्वरूप ₹1.34 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

³³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी एवं सिरमौर

2.5.9 जब्त सम्पत्तियों की नीलामी न करना

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के अनुसार सरकार को देय राशि की वसूली समाहर्ता द्वारा किसी एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं जैसे कि दोषी को याचिका दायर करके, गिरफ्तार एवं कैद करके, धनाभाव तथा चल सम्पत्ति के विरुद्ध चल सम्पत्ति की बिक्री की कार्यवाही तथा सम्पदा एवं स्वामित्व की बिक्री अथवा कुर्क करके की जा सकती है।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁴ के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 2005-06 से 2014-15 तक की कर अवधि के लिए जनवरी 2011 तथा सितम्बर 2015 के मध्य छः व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप दिया था तथा ₹45.88 करोड़ की अतिरिक्त माँग सृजित की गई। व्यापारियों ने अतिरिक्त माँग को जमा नहीं किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने 2011-12 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान व्यापारियों के राजस्व अभिलेख में लाल प्रविष्टियाँ की तथा सम्पत्तियों को जब्त किया था परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों ने देय कर राशि की वसूली करने हेतु जब्त सम्पत्तियों की नीलामी हेतु पुनः कोई प्रयास नहीं किए।

जब्त की गई सम्पत्तियों की नीलामी हेतु निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹45.88 करोड़ के बकायों का संचय हुआ।

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0039 - राज्य आबकारी' के अन्तर्गत बकाया

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0039-राज्य आबकारी" के अन्तर्गत ₹86.40 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लम्बित था जो 1972-73 से संचित हुआ था।

2.5.10 प्रशासनिक विफलता के कारण राजस्व की वसूली न करना

आबकारी घोषणा 2016-17 में प्रावधान है कि एक सफल आबंटी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के आबकारी एवं कराधान आयुक्त सह-प्रभारी के पक्ष में विधिवत गिरवी रखी हुई 10 प्रतिशत प्रतिभूति नकदी या बैंक गारंटी या राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या जिसके पास हिमाचल प्रदेश में अपनी स्थाई सम्पत्ति है वह वार्षिक लाईसेंस शुल्क की 15 प्रतिशत राशि के बराबर दो प्रतिभूतियाँ आबंटन के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। ऐसे जमानती जिन्होंने किसी लाईसेंसधारी के लिए जमानती बंधपत्र दर्ज किया है, वचन दर्ज करेंगे कि उन्होंने उसी भूमि के लिए राज्य के किसी अन्य व्यक्ति/लाईसेंसधारी को जमानत नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बिक्री केन्द्रों/इकाई का आबंटन किया गया है, यदि मूलभूत लाईसेंस शुल्क/प्रतिभूति की राशि को जमा करने में विफल होता है तो लाईसेंस का पुनर्विक्रय होगा तथा ऐसा आबंटी प्रतिदाय हेतु पात्र नहीं होगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान, शिमला में एक ही प्रकार के दो व्यक्तियों ने बिक्री केन्द्र के सात लाईसेंसधारियों को जमानत दी। यह आबकारी घोषणा 2016-17 के प्रावधानों का उल्लंघन है। लाईसेंसधारियों को वर्ष 2016-17 हेतु ₹29.00 करोड़ का लाईसेंस शुल्क जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु उन्होंने केवल ₹19.97 करोड़ का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹9.03 करोड़ का अल्प भुगतान हुआ। विभाग ने जमानत अथवा लाईसेंसधारी से बकाए की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

जमानत सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹9.03 करोड़ का अल्प भुगतान हुआ।

³⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, मण्डी, सिरमौर तथा सोलन

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0042 -यात्री एवं माल कर" के अन्तर्गत बकाया

2.5.11 दैनिक संग्रहण पंजिका तथा मांग एवं संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वाहनों के मालिकों को या तो त्रैमासिक या वार्षिक रूप से निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान करना अपेक्षित है। यात्री एवं माल कर नियम, 1957 के अनुसार प्रत्येक जिले का आबकारी एवं कराधान कार्यालय फार्म पी.जी.टी.-23 में एक दैनिक संग्रहण पंजिका तथा फार्म पी.जी.टी.-24 में मांग एवं संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण करेगा जिसमें कर अदायगी, अधिभार या शास्ति या मोटर वाहन मालिकों द्वारा कोई अन्य देय राशि के प्रमाण हेतु सभी चालानों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चालान चार प्रतियों में भरा जाएगा। चालान की एक प्रति कोषागार द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा अन्य दो प्रतियां वाहन के मालिक को लौटाई जाएंगी जिनमें से एक प्रति मासिक विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी तथा अन्य प्रति मालिक द्वारा अदायगी के प्रमाण स्वरूप उसके अभिलेख में रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी वाहन मालिक के द्वारा कोई राशि देय है तो निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत यात्री एवं माल कर जमा करने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत फार्म पी.जी.टी.-11 में नोटिस देगा।

सात आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मांग एवं संग्रहण पंजिका के अभिलेखों की छानबीन में उद्घाटित हुआ कि वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की गई राशि का उल्लेख मांग एवं संग्रहण पंजिका में उचित रूप से नहीं किया गया था। क्योंकि मांग एवं संग्रहण पंजिका के अनुसार यात्री एवं माल कर की भुगतान तथा देय कुल राशि को अद्यतन नहीं किया था जिसकी जानकारी विभाग को नहीं थी। इसके कारण विभाग द्वारा अनुरक्षित बकाया अभिलेखों में शेष बकाया देयता उचित रूप में प्रकट नहीं हुई।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला में मांग एवं संग्रहण पंजिका की लेखापरीक्षा छानबीन में उद्घाटित हुआ कि 874 व्यावसायिक वाहन जो कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला में पंजीकृत थे (2007-08 से 2016-17 के दौरान) में से 691 व्यावसायिक वाहन निर्धारित दरों³⁵ पर ₹80.43 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस राशि का भुगतान वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। विभाग ने इस राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने सभी सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 2014-15 से 2016-17 वर्षों के दौरान यात्री एवं माल कर की ₹2.99 करोड़ की देय राशि के गैर-भुगतान को इंगित किया था। यह राशि अभिलेखों में बकाया के रूप में दर्ज नहीं की गई थी।

मांग एवं संग्रहण पंजिका को अद्यतन न करने के कारण वास्तविक बकाया का भुगतान किया अथवा नहीं, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0045-पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' के अंतर्गत बकाया

मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0045-पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क" के अंतर्गत ₹65.63 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित है, जो कि 1989-90 से संचित हुआ था।

2.5.12 टोल पट्टा राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के प्रावधान के अनुसार जब सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किसी पट्टेदार को पट्टा आबंटित किया जाता है, तो पट्टेदार को प्रत्येक माह के 20वें दिन पर 10 किस्तों में अथवा जैसा आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा तय किया जाता है पट्टा राशि का भुगतान करना होगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा राशि का 15 प्रतिशत 10 फरवरी को या उससे पहले प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा तथा पट्टेदार द्वारा 85 प्रतिशत

³⁵ माल वाहन- भार क्षमता (क्विंटल में) 0-10: ₹1,000, 10-20: ₹2,000, 20-30: ₹3,000, 30-120: ₹6,000 से ऊपर 120: ₹10,000, यात्री वाहन-(बैठने की क्षमता) 4+1: ₹1,350, 5-6: ₹2,400, 6-8: ₹5350, 9-13: ₹8,000, स्कूल बसें-(बैठने की क्षमता) 29 तक: ₹7200 तथा उससे ऊपर 29: ₹9,000

प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जनवरी के प्रत्येक महीने के 20वें दिन 10 किस्तों में भुगतान करना होगा। यदि टोल पट्टेदार प्रति वर्ष प्रतिभूति राशि के रूप में 10 फरवरी या उससे पहले सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिए मासिक किस्तों के 15 प्रतिशत भुगतान को जमा करने में विफल रहता है तो उसका पट्टा बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा तथा बकाया राशि को वसूलने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पट्टा अधिनियम 1954 के अंतर्गत शुरू की जाएगी। पात्रता शर्तों में यह भी प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश में किसी कराधान कानून के अंतर्गत सम्बन्धित आबंटी या व्यक्ति दोषी नहीं होना चाहिए।

- i. सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन से उद्घाटित हुआ कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁶ में वर्ष 2013-14 हेतु दो पट्टेदारों को ₹45.06 करोड़ की वार्षिक पट्टा राशि पर टोल पट्टा दिया था। इन पट्टेदारों द्वारा भुगतान योग्य ₹45.06 करोड़ राशि के प्रति ₹33.17 करोड़ की पट्टा राशि जमा की गई थी जो कि ₹11.89 करोड़ कम थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने भू-राजस्व बकाया अधिनियम के अंतर्गत ₹11.89 करोड़ की वसूली हेतु दोषियों के भू-अभिलेखों में लाल प्रविष्टियां की थी परन्तु विभाग ने सम्पत्ति की नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
- ii. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बर्दी में वर्ष 2013-14 हेतु एक कम्पनी जिसमें पांच भागीदारों को ₹14.38 करोड़ की वार्षिक पट्टा राशि पर टोल पट्टा दिया था, में से दो भागीदार पहले से ही वर्ष 2012-13 हेतु ₹2.22 करोड़ के भुगतान के दोषी थे। इसके अतिरिक्त, पट्टेदार ने ₹14.38 करोड़ में से ₹12.68 करोड़ की राशि का भुगतान किया था तथा ₹1.70 करोड़ जमा नहीं किए थे, जो कि वर्ष 2013-14 से बकाया थे। अतः दोषी पट्टेदारों को पट्टे के आबंटन में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हुई तथा बकायों में और अधिक संचय हुआ।

प्रावधानों के विपरीत दोषी को टोल पट्टा के अनियमित आबंटन के कारण ₹13.59 करोड़ (₹11.89 करोड़ + ₹1.70 करोड़) की वसूली नहीं हुई।

2.5.13 बकायों को गलत प्रकट करना

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁷ के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1994-95 तथा 2001-02 के मध्य तीन मामलों के सम्बन्ध में ₹18.78 लाख का बकाया, बकाया भू-राजस्व पंजिका में वसूल किया गया दर्शाया गया था जबकि बकाया विवरणी में अभी तक वसूली योग्य ही दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹18.78 लाख की सीमा तक बकायों को गलत प्रकट किया गया।

निष्कर्ष

अनुश्रवण के अभाव, विस्तृत डाटाबेस का अनुरक्षण न करने तथा मिलान न करने के परिणामस्वरूप बकायों को गलत दर्शाया गया। व्यापारियों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब तथा फर्मों/व्यापारियों के प्रति अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई क्योंकि व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया था। पंजीकरण के समय व्यापारियों से प्रतिभूति/जमानत को प्राप्त न करने, प्रतिप्रेषित मामलों का निर्धारण न करना तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप बकायों का संचय हुआ। जब्त सम्पत्ति को नीलाम नहीं किया गया था। जमानत से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप देय आबकारी शुल्क का कम भुगतान हुआ। प्रावधानों के विपरीत दोषियों को टोल पट्टा के अनियमित आबंटन से देय राशि की वसूली नहीं हुई।

विभाग तथा सरकार को जुलाई 2018 में उपर्युक्त बिन्दु प्रतिवेदित किए गए थे। उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

³⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर तथा ऊना

³⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बर्दी: ₹4.98 लाख तथा शिमला: ₹13.80 लाख

2.6 निवेश कर क्रेडिट की छूट

निर्धारण प्राधिकारियों ने शेष माल/कर मुक्त माल की बिक्री/शाखा हस्तांतरण पर विचार किए बिना निवेश कर क्रेडिट की छूट प्रदान कर दी जिसके परिणामस्वरूप 138 व्यापारियों के ₹7.01 करोड़ के कर दायित्व का स्थगन हुआ।

I. निवेश कर क्रेडिट की अधिक छूट

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसार निवेश कर क्रेडिट राज्य में एक पंजीकृत व्यापारी से खरीदे गए कर योग्य माल पर क्रेता द्वारा भुगतान किए गए निवेश कर की राशि की सीमा तक अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त मई 2007 की अधिसूचनानुसार निवेश कर क्रेडिट की राशि एक व्यापारी द्वारा कर अवधि के दौरान उसके द्वारा बेचे गए माल के खरीद मूल्य पर स्वीकार्य होगी। यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर को अदा करने में विफल रहता है तो वह एक प्रतिशत तथा उसके पश्चात चूक जारी रहने तक पर डेढ़ प्रतिशत तक की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁸ के अभिलेखों की छानबीन की जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि दो निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2007-08 तथा 2015-16 के मध्य 129 व्यापारियों के 142 मामलों जिनमें ₹1,161.50 करोड़ की सकल कुल बिक्री अन्तर्ग्रस्त है, वार्षिक रिटर्नों का निर्धारण करते समय ₹656.47 करोड़ की स्थानीय खरीद पर ₹65.61 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया। कुल खरीद की स्थानीय खरीद के अनुपात के आधार पर ₹213.38 करोड़ के शेष माल पर ₹10.66 करोड़ की राशि का निवेश कर क्रेडिट रोकना अपेक्षित था जबकि निर्धारण प्राधिकारियों ने निवेश कर क्रेडिट के केवल ₹4.38 करोड़ ही रोके। अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के परिणामस्वरूप ₹6.28 करोड़ की राशि के निवेश कर क्रेडिट की अधिक छूट दी गई। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹1.00 करोड़ भी वसूली योग्य थे।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि 43 मामलों में ₹23.90³⁹ लाख की अतिरिक्त मांग को सृजित किया गया था जिसमें से 40 मामलों में ₹12.89 लाख की राशि को वसूल कर लिया था जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

II. कर मुक्त माल की बिक्री पर निवेश कर क्रेडिट

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में प्रावधान है कि क्रेता व्यापारी द्वारा कोई निवेश कर क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा तथा यह उसको उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त घोषित किए गए, विनिर्मित अथवा संसाधित अथवा पैकिंग वस्तुओं में उपयोग में लाए गए माल की खरीद पर एकत्रित किये गए कर के लिए यह अनुमत नहीं होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इनमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि चार सहायक एवं कराधान आयुक्तों⁴⁰ ने 6 व्यापारियों के 13 मामलों में कर मुक्त माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए व्यापारियों के ₹107.02 करोड़ की सकल कुल बिक्री का निर्धारण किया इसमें ₹34.68 करोड़ की कर मुक्त कुल बिक्री सम्मिलित थी। निर्धारण प्राधिकारी

³⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, नूरपुर, शिमला, सोलन तथा ऊना

³⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त 2016-17: बिलासपुर: छ: व्यापारी: ₹0.43 लाख, हमीरपुर: एक व्यापारी: ₹0.90 लाख, मण्डी : दो व्यापारी: ₹0.07 लाख, नूरपुर: दो व्यापारी: ₹0.78 लाख, शिमला: एक व्यापारी: ₹5.28 लाख, सोलन: चार व्यापारी: ₹1.56 लाख, 2015-16: चम्बा: 19 व्यापारी: ₹10.53 लाख, नूरपुर: पांच व्यापारी: ₹2.54 लाख, शिमला: 3 व्यापारी: ₹1.81 लाख

⁴⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर, कुल्लू, सोलन तथा ऊना

ने ₹1.58 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की छूट प्रदान की जबकि निवेश कर क्रेडिट ₹34.68 करोड़ की कर मुक्त बिक्री के आधार पर ₹1.10 करोड़ निकाला गया। इसके परिणामस्वरूप ₹47.96 लाख⁴¹ के निवेश कर क्रेडिट की अधिक छूट दी गई। ₹7.67 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दो मामलों में ₹0.89⁴² लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी जिसमें से ₹0.11 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

III. शाखा हस्तांतरण पर गलत निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद निवेश कर क्रेडिट केवल उसी सीमा तक अनुमत होगा जिससे राज्य में भुगतान किए गए निवेश कर की राशि अन्तरराज्यीय व्यापार की श्रृंखला में बिक्री के माध्यम के अतिरिक्त राज्य के बाहर भेजी गई वस्तुओं की खरीद पर चार प्रतिशत से अधिक है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की छानबीन की जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इनमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर एवं ऊना ने तीन व्यापारियों के पांच मामलों में शाखा हस्तांतरण पर निवेश कर क्रेडिट की अनुमति दी। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2010-11 एवं 2011-12 के लिए कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए तीन व्यापारियों जिनकी सकल कुल बिक्री ₹667.67 करोड़ थी, को स्टॉक हस्तांतरण के ₹414.78 करोड़ के लिए अननुमत्य ₹25.45 लाख के निवेश कर क्रेडिट के प्रति केवल ₹0.14 लाख की निवेश कर क्रेडिट की अनुमति नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप ₹25.31 लाख⁴³ के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹4.05 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि एक मामले में ₹0.32⁴⁴ लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई तथा वसूल कर ली गई थी जबकि व्यापारियों के शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे।

इन मामलों को सरकार को अगस्त 2016 एवं मई 2018 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.7 कर की गलत दर लागू करना

11 व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने पांच से 13.75 प्रतिशत की प्रयोज्य दर के स्थान पर चार से पांच प्रतिशत की दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों को अनुचित लाभ हुआ तथा ₹11.56 करोड़ के कर की अल्प वसूली हुई। ब्याज के ₹5.73 करोड़ भी वसूली योग्य थे।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुसूचि-ए में प्रावधान है कि एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्री पर कर उद्ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी नियत तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

⁴¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर (तीन व्यापारी: ₹1.03 लाख), कुल्लू (एक व्यापारी: ₹40.18 लाख), सोलन (एक व्यापारी: ₹1.68 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹5.07 लाख)

⁴² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर: दो व्यापारी: ₹0.89 लाख

⁴³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹22.75 लाख तथा ऊना: दो व्यापारी: ₹2.56 लाख

⁴⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना: एक व्यापारी: ₹0.32 लाख

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि चार निर्धारण प्राधिकारियों ने मई 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य 11 व्यापारियों के 23 मामलों में निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए कर की गलत दर को उद्गृहीत किया। इन व्यापारियों ने वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान ₹137.79 करोड़ की राज्यान्तरिक तथा अन्तरराज्यीय की बिक्री थी। निर्धारण प्राधिकारी ने पांच तथा 13.75 प्रतिशत की लागू दर पर ₹18.20 करोड़ के स्थान पर चार तथा पांच प्रतिशत की दर से ₹6.64 करोड़ के कर को उद्गृहीत किया। अतः गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹11.56⁴⁵ करोड़ (₹18.20 करोड़ - ₹6.64 करोड़) के कर की अल्प वसूली हुई। ₹5.73 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि छः मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किए गये थे जबकि शेष मामले पुनर्निर्धारण हेतु प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.8 कुल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक कुल बिक्री के प्रति सकल कुल बिक्री पर कम कर निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹5.47 करोड़ के राजस्व की हानि हुई इसके अतिरिक्त ₹4.61 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल बिक्री से तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों की कुल राशि, खरीद या बिक्री अथवा खरीद के किसी भाग से तथा उसमें भाड़ा, भंडारण, विलम्ब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि नौ निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 हेतु 37 व्यापारियों के 44 मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य) ₹1,106.43 करोड़ की वास्तविक सकल कुल बिक्री के प्रति ₹997.93 करोड़ की सकल कुल बिक्री पर कर निर्धारण किया जैसा कि प्रमाणित खातों में दर्शाया गया है। अतः कुल बिक्री के ₹108.50 करोड़ का अल्प निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹5.47 करोड़ तक के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹4.61 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि 11 मामलों में ₹29.03⁴⁶ करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी एवं वसूल कर ली गई थी तथा 12 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे जबकि शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁴⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त (2016-17): बद्दी (दो व्यापारी: ₹9.50 करोड़), शिमला (एक व्यापारी: ₹1.41 लाख), सोलन (चार व्यापारी: ₹1.19 करोड़), (2015-16) (एक व्यापारी: ₹55.24 लाख) तथा ऊना (तीन व्यापारी: ₹29.84 लाख)

⁴⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला: एक व्यापारी: ₹12.84 लाख, सोलन: एक व्यापारी: ₹0.24 लाख, चम्बा: एक व्यापारी: ₹0.28 लाख, मण्डी: एक व्यापारी: ₹13.35 लाख, नूरपुर: एक व्यापारी: ₹0.10 लाख, सोलन (2015-16): एक व्यापारी: ₹0.02 लाख, ऊना: पांच व्यापारी ₹2.20 लाख

2.9 बिक्री तथा स्टॉक को छिपाना

26 व्यापारियों ने 28 मामलों में ₹8.54 करोड़ की बिक्री तथा शेष माल को छिपाया जिससे उनका कर निर्धारण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹1.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹71.35 लाख का ब्याज तथा न्यूनतम शास्ति ₹9.94 लाख भी उद्ग्राह्य थी।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी व्यापारी ने अपनी बिक्री, खरीद या माल के स्टॉक को छिपाने के विचार से झूठे खातों को बनाया है, या अपनी बिक्री और खरीद से सम्बन्धित किसी ब्यौरे को छिपाया है, या किसी भी प्राधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत झूठा लेखा प्रस्तुत किया, तो वह शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा जो कि देय कर के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(i) 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴⁷ में 2005-06 से 2014-15 की कर अवधि के दौरान ₹386.19 करोड़ की सकल कुल बिक्री वाले 25 व्यापारियों ने 27 मामलों में वार्षिक रिटर्न में ₹3.17 करोड़ की बिक्री का खुलासा नहीं किया था जो अन्यथा सम्पत्ति की बिक्री के रूप में उनके व्यापार तथा लाभ एवं हानि के खातों में दर्शाए गए थे। इसके अतिरिक्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला की लेखापरीक्षा छानबीन में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के लिए ₹99.37 लाख की सकल कुल बिक्री करने वाले एक व्यापारी ने ₹8.99 लाख का अथशेष माल दिखाया था जबकि पिछले वर्ष के प्रमाणित खातों में ₹38.40 लाख का शेषमाल दर्शाया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के कर निर्धारणों को (मई 2014 एवं मार्च 2016) अन्तिम रूप देते समय उनके वार्षिक खातों के साथ वार्षिक रिटर्न की प्रति-जांच नहीं की।

इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारी के स्तर पर वार्षिक खातों के साथ वार्षिक रिटर्न की प्रति-जांच की विफलता के कारण व्यापारी ₹3.46 करोड़ (₹3.17 करोड़ + ₹29.41 लाख) की कर योग्य बिक्री को छिपाने में सक्षम रहे जो कि निर्धारण से बच गए जिसके परिणामस्वरूप ₹39.77⁴⁸ लाख के कर का अपवंचन हुआ। ₹35.69 लाख का ब्याज तथा ₹9.94 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन में 3,297 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। जिसमें से 1154 मामलों की लेखापरीक्षा नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2016 में कर वर्ष 2014-15 के लिए एक व्यापारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹12.11 करोड़ की बिक्री पर कर निर्धारण किया तथा ₹1.37 करोड़ का कर उद्गृहीत किया (कर की 13.75 प्रतिशत की निर्धारित दर)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि व्यापारी ने वार्षिक रिटर्न के अनुसार ₹17.10 करोड़ की बिक्री की तथा देय कर के रूप में ₹2.35 करोड़ (13.75 प्रतिशत की दर पर) दर्शाए थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण आदेश में ₹17.10 करोड़ के स्थान पर ₹12.11 करोड़ की बिक्री बताने के लिए कारण दर्ज नहीं किए थे।

अतः निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹4.99 करोड़ तक बिक्री का कम निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹68.57 लाख के कर का अवनियोजन हुआ तथा उस सीमा तक राजस्व की अनुवर्ती हानि हुई। ₹35.66 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

⁴⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा एवं ऊना

⁴⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: 10 व्यापारी: ₹11.52 लाख, बिलासपुर: चार व्यापारी: ₹1.63 लाख, चम्बा: एक व्यापारी: ₹5.73 लाख, कांगड़ा: दो व्यापारी: ₹6.32 लाख तथा ऊना: आठ व्यापारी: ₹13.10 लाख तथा शिमला: एक व्यापारी: ₹1.47 लाख

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴⁹ ने दो व्यापारियों के विरुद्ध ₹0.12 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया जबकि शेष मामलों में पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए गए जोकि प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.10 श्रम प्रभारों की अधिक छूट

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹14.56 करोड़ की सकल कुल बिक्री से श्रम प्रभारों की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप ₹67.02 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि जहां श्रम प्रभार संविदाकारों के कार्यों के लेखा से निर्धारण करने योग्य नहीं है अथवा संविदा की प्रकृति में अतार्किक रूप से उच्च समझे जाते हैं तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम/नियमों में विनिर्दिष्ट संविदा के प्रकार के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुसार श्रम प्रभारों के प्रति कटौतियों को अनुमत किया जाएगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि छः निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2007-08 से 2015-16 हेतु आठ ठेकेदारों के 13 मामलों में मई 2016 तथा फरवरी 2018 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ठेकेदारों के श्रम लेखों को सत्यापित किए बिना ₹4.50 करोड़ की स्वीकार्य कटौती के प्रति ₹9.67 करोड़ के श्रम प्रभार अनुमत किए। अतः निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण में बिना कोई कारण अभिलिखित किए ₹5.17 करोड़ के अधिक श्रम प्रभारों की छूट प्रदान करने के कारण ₹25.64 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की कम वसूली हुई।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵⁰ में 15,123 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था इसमें से लेखापरीक्षा ने 4,310 मामलों की नमूना-जांच की तथा पाया कि कर अवधि 2007-08 से 2015-16 हेतु निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन ठेकेदारों के आठ मामलों में निर्धारण करते समय श्रम प्रभारों के ₹14.15 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। तथापि, इन ठेकेदारों ने श्रम प्रभारों के ₹4.75 करोड़ बुक किए जैसाकि उनके सत्यापित लेखाओं में दर्शाया गया है। अतः निर्धारण प्राधिकारी ठेकेदारों के सत्यापित लेखाओं के साथ विवरणियों की प्रति-जांच करने में विफल होने के कारण ₹9.40 करोड़ के श्रम प्रभारों की अधिक छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹41.38 लाख तक कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज के ₹25.64 लाख भी उद्ग्राह्य थे।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने चार ठेकेदारों से ₹13.95⁵¹ लाख की अतिरिक्त मांग सृजित एवं वसूल की थी जबकि ठेकेदारों के शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁴⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर: ₹0.01 लाख तथा ऊना: ₹0.11 लाख

⁵⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹0.54 लाख, कांगड़ा: एक व्यापारी: ₹34.81 लाख तथा मण्डी: एक व्यापारी: ₹6.03 लाख

⁵¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा: दो व्यापारी ₹0.52 लाख, बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹0.08 लाख तथा मण्डी: एक व्यापारी: ₹13.35 लाख

2.11 ब्याज का अल्प उद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने अतिरिक्त मांग सृजित करके ₹24.30 लाख के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर ₹8.40 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹15.90 लाख के ब्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह एक महीने की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत तथा उसके पश्चात चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिसमें 93,619 कर निर्धारणों को पूर्ण किया गया था। इसमें से लेखापरीक्षा ने 37,448 मामलों की नमूना जांच की तथा पाया कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵² में कर अवधि 2007-08 से 2013-14 हेतु 11 व्यापारियों के सम्बन्ध में 18 मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जून 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य) ₹20.43 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा निर्धारण तिथि तक सृजित अतिरिक्त मांग पर उद्ग्राह्य ₹16.60 लाख के ब्याज के प्रति ₹2.77 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर अवधि 2011-12 से 2015-16 हेतु एक व्यापारी के प्रवेश कर के मामले का (दिसम्बर 2016) कर निर्धारण किया तथा ₹23.74 करोड़ की अन्तरराज्यीय बिक्री पर ₹19.24 लाख के प्रवेश कर की मांग सृजित की। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹7.70 लाख के स्थान पर ₹5.63 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया जो कि ₹2.07 लाख कम था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के ₹15.90 लाख (₹13.83 लाख + ₹2.07 लाख) का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने व्यापारियों को पुनर्निर्धारणार्थ नोटिस जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.12 मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

सहायक एवं आबकारी विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके चलते कम से कम ₹3.78 करोड़ राजस्व छूट गया।

केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 क्षेत्र के मुख्य पोस्टमास्टर अर्थात् पंजीकरण प्राधिकारी के साथ केबल ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम, 1968 के प्रावधान के अनुसार मनोरंजन कर का उद्ग्रहण ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसे कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। 'टेलीविजन प्रदर्शनी' किसी भी प्रकार के ऐन्टीना की मदद सहित एक प्रदर्शनी है जिसके साथ नेटवर्क जुड़ा होता है। आबकारी एवं कराधान विभाग की मई 2012 की अधिसूचना में नियत है कि सभी प्रकार के मनोरंजन पर तत्काल प्रभाव से प्रवेश हेतु भुगतान के 10 प्रतिशत की दर से शुल्क उद्ग्राह्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि मालिक धोखे से किसी भी देय राशि के भुगतान को छिपाता है तो वह दो हजार जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और जब अपराध लगातार हो तो अपराध की निरंतरता की अवधि के दौरान प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा जो कि पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों से तीन जिलों (बिलासपुर, कांगड़ा तथा मण्डी) में केबल ऑपरेटरों के पंजीकरण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त की तथा पाया कि इन तीन जिलों में 28 केबल ऑपरेटर पंजीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मनोरंजन शुल्क से सम्बन्धित भुगतान के अभिलेखों

⁵² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी (2015-16): ₹4.70 लाख तथा कांगड़ा: ₹0.69 लाख तथा बद्दी (2016-17): ₹10.51 लाख

की नमूना-जांच की तथा पाया कि इन जिलों के पंजीकृत 28 केबल ऑपरेटर मनोरंजन कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। विभाग ने ऑपरेटरों से ₹3.78 करोड़ के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं की जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: केबल टीवी ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

जिला का नाम	केबल ऑपरेटरों की कुल संख्या	2014-15 में केबल कनेक्शनों की संख्या	2015-16 में केबल कनेक्शनों की संख्या	2016-17 में केबल ऑपरेटरों की संख्या	प्रति कनेक्शन दर	मनोरंजन कर की अवधि	कुल महीनों की संख्या	केबल कनेक्शनों से ऑपरेटरों द्वारा वसूल की गई राशि	10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिलासपुर	7	0	0	28,200	200	अप्रैल 2016 से मार्च 2017	12	6,76,80,000	67,68,000
कांगड़ा स्थित धर्मशाला	6	23,870	23,870	23,870	280	अप्रैल 2014 से मार्च 2017	36	24,06,09,600	2,40,60,960
मण्डी	15	9,435	13,260	16,262	150	अप्रैल 2014 से मार्च 2017	36	7,01,22,600	70,12,260
योग	28							37,84,12,200	3,78,41,220

इसके अतिरिक्त, मनोरंजन शुल्क का भुगतान न करने के लिए अधिनियम में निर्धारित दरों पर शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने केबल ऑपरेटरों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे सभी मामलों की गहनता से जांच करने हेतु कार्रवाई करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।